حج کمیٹی آف انڈیا

हज कमेटी ऑफ़ इंडिया

(हज कमेटी अधिनियम 2002 की संख्या 35 द्वारा गठित वैधानिक संस्था)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन, भारत सरकार

जवानी में हज अदा करें क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक–व–त्आलाह अपने जवार–ए–रहमत में उस जवान को जगह अता फरमाएगा जो जवानी मे अल्लाह की इबादत करता हो

जो हज का इरादा करे उस को चाहिये के वह जल्दी करें।

हज 1443 (हि.) 2022 (सी.ई.)

के लिए

दिशानिर्देश

तमाम हज यात्रियों को आगाह किया जाता है कि हज 1443 (हि.) 2022 (सी.ई.) की व्यवस्था चूँकि कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान होगी इस लिए इस में ख़ुसूसी नियम व शर्तों के तहत उम्र, सेहत और तन्दुरुस्ती के अलावा दीगर नियम व शर्तों की पाबंदियों को मद्देनज़र रखते हुए की जाएंगी जो कि सऊदी अरब सरकार द्वारा निर्देशित की जाएंगी।

हज दरख़्वास्त फार्म जमा करने की आख़री तारीख़

31 जनवरी 2022

नोट :

1. हज आवेदन पत्र भरने से पहले दिशानिर्देश को अच्छी तरह से पढ़लें।

2. हज दरख़्वास्त फार्म हज कमेटी ऑफ़ इंडिया की वेबसाईट hajcommittee.gov.in या हज ऐप (प्ले स्टोर में उपलब्ध) ऐन्ड्रायड मोबाइल ऐप "HAJ COMMITTEE OF INDIA" पर ऑनलाईन भरा जा सकता है।

3. इन दिशानिर्देश में दिये गए हज यात्रा खर्चों में संबंधित एजेंसियों द्वारा समय समय पर घोषित प्रभारों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

4. हज आवेदन पत्र ऑन–लाईन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 है।

5. हज आवेदन पत्र पर चिपकाया गया फोटो और पासपोर्ट के साथ सबमिट / संलग्र फोटो एक ही होना चाहिए। जमा की जानेवाली सभी तस्वीरें सामने के रुख की, (जिस में 70% चेहरा दिखे), तस्वीर की साइज़ 3.5 cm x 3.5 cm हो, रंगीन हो, जिसका पसेमंज़र (Back ground) सफेद हो और तस्वीर के पीछे नाम और पासपोर्ट नंबर लिखा होना चाहिए।

पासपोर्ट के साथ जमा की जाने वाली तस्वीर इस तरह से चिपकाऐं

चिपकने वाला टेप

मेयारी साईज़ के बैगेज :

1. कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजा से आयद पाबंदियों की बिना पर तमाम आलम में सामान–सफर की पाबंदीयाँ भी आयद कर दी गई हैं। चूँकि हज की अदाएगी जुन–जुलाई 2022 के महीने में हाने वाली है लिहाज़ा फिल वक़्त सफर–ए–हज में की जाने वाली पाबंदियों के बारे में क़यास करना क़ब्ल अज़ वक़्त होगा।
2. ताहम, बैगेज (सामान) के वज़न और साईज़ में कमी के बारे में इत्तेला दी जा चुकी है। हज कमेटी ऑफ इन्डिया के तमाम मुन्तखिब आज़मीने हज को 20 किलोग्राम वज़न तक के लिए (2) दो बैग लम्बाई + चौड़ाई + ऊँचाई =75 +55 +28 सेन्टीमीटर =158 सेन्टीमीटर या 29.5 + 21.70 + 11 इन्चेज़ = 62.20 इन्चेज़ ज़्यादा से ज़्यादा कुल तूल व अर्ज और (7) सात किलोग्राम तक सामान के लिए मौज़ू एक केबिन बैग, लम्बाई + चौड़ाई + ऊँचाई = 55 + 40 + 23 सेन्टीमीटर =118 सेन्टीमीटर या 21.75 + 15.75 + 9 इन्चेज़ = 46.5 इन्चेज़ ज़्यादा से ज़्यादा कुल तूल व अर्ज ले जाने की इजाजत होगी। हुज्जाजे कराम को सिर्फ मयारी साइज के बैगेज (सामान) ही ले जाने की इजाजत होगी, किसी भी सूरत में गैर मयारी बैग ले जाने की इजाजत नहीं होगी।
3. हुज्जाज–ए–कराम के लिए ज़रुरी है कि अपने बैगेज(सामान) पर जली मारकर पैन **(Bold Marker Pen)** से अपना कवर नंबर, नाम, पता, परवाज़ नंबर और मरकज़–ए–रवानगी तैहरीर करें ताकि शनाख़्त में सहुलत हो। इन निशानात की गैर मौजूदगी में गुमशुदा सामान की भानाख़्त करना निहायत ही मुशकिल होगा।
4. हज कैम्प पर हज कमेटी आफॅ इंडिया हुज्जाज–ए–कराम को दीगर ज़रुरी दस्तावीज़ात के साथ साथ बैगेज(सामान) स्टीकर भी फराहम करती है जिसे हुज्जाज–ए–कराम को अपने बैगेज(सामान) पर चसपॉ करना है ताकि उनका बैगेज (सामान) उनकी रिहईश तक बाआसानी पहुँच सके।

हज कमेटी ऑफ इंडिया

(हज कमेटी अधिनियम 2002 की संख्या 35 द्वारा गठित वैधानिक संस्था)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

हज 1443 (हि.) 2022 (सी.ई.) अस्थाई निर्देष

(अंतिम निर्देष सऊदी अरबिया सरकार से मंजूरी के बाद जारी की जाएगी)

आवष्यक सूचना : हर हाजी के लिये जरूरी है कि वह प्रस्थान की तारीख से कम से कम एक महीना पहले तक (कोविड-19) कोरोना वायरस के लिए स्वीकृत दोनों खुराक हासिल कर लें। सिर्फ ऐसे ही हज यात्रियों को हज 1443 (हि.) 2022 (सी.ई.) में हज यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाएगी।

प्रस्तावना :

- हज शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम मुस्लमान पर फर्ज है। हज यात्रा जटिल और शारीरिक रूप से कठिनाई भरा है। क्योंकि इस यात्रा में हाजी को एक जगह से दूसरी जगह तक निश्चित समय में पैदल चल कर और यात्रा के उपलब्ध साधनों के माध्यम से पहुँचना होता है। सऊदी नियमों के अनुसार एक हज यात्री को आर्थिक, नैतिक, शारीरिक, व्यावहारिक और मानसिक रूप से चाक व चौबन्द होना जरूरी है।
- हज कमेटी ऑफ इंडिया अधिनियम के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है जिस पर मौजूदा उसूल व जवाबित के तहत सिर्फ हिन्दुस्तान में हज के इन्तेजामात करने की जिम्मेदारी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया आरजी तौर पर हिदायात बराये हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) का इजरा कर रही है और आजमीने कराम के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर मजूज़ा प्रोफार्मा में मौजूद दरख्वास्त फॉर्म जारी कर रही है जिसका हतमी फैसला ममलकते सऊदी अरबिया के जवाबित के तहत होगा। आरजी हिदायत बराये हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर से हासिल किये जा सकते हैं। आजमीने कराम दरख्वास्त फॉर्म बराये हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर और हज ऐप पर ऑनलाइन पूर (Fill) करके या गूगल प्ले स्टोर में मौजूद हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऐन्ड्राइड मोबाइल ऐप "HAJ COMMITTEE OF INDIA" में ऑनलाइन जमा (submit) कर सकतें हैं।
- हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) का इनेकाद कोरोना वायरस की आलमी वबा के चलते खुसूसी वसूलो व जवाबित बशमूल कवायद बराये उम्र, सेहत और तन्दुरूस्ती के अलावा दिगर उसूल व जवाबित की पाबन्दियों के तहत होगा। लेहाजा हज दरख्वास्त के तमाम मराहिल आरजी हैं और ममलकते सऊदी अरबिया के हतमी फैसले पर मुन्हसिर है।

- इस बात का भी कवी इमकान है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा के चलते हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) सिरे से ही मन्सूख कर दिया जाये या इजाफी शरायत व जवाबित को शामिल किया जाये जिसका हतमी फैसला अय्यामे हज के करीब आते-आते उस वक्त रूनुमा होने वाले हालात व मामलात के पेशेनजर हुकूमते सऊदी अरबिया करेगी, लेहाजा इस जिम्न में हज कमेटी ऑफ इंडिया को किसी भी तब्दीली चाहे वह मआशी हो, सेहत से मुतालिक हो या हज की मन्सूखी से हो, जिम्मेदार नहीं होगी और उसे मूरूदे इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता।
- मौजूदा हालात में हुकूमते ममलकत सऊदी अरबिया सिर्फ जिस्मानी और दिमागी तौर पर सेहतमन्द जैसे कि अम्राज़े कल्ब, साँस की दुश्वारियां, हामिला, ज़ियाबेतिस, बल्ड प्रेशर और दिगर जानलेवा बीमारियों से महफूज अफराद को ही इम साल हज के लिए मदऊ कर सकती है। कोरोना वायरस की आलमी वबा के चलते हुकूमते ममलकत सऊदी अरबिया हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) के हुज्जाजे कराम के लिए मजीद सख्त शरायत व जवाबित का निफाज कर सकती है, लेहाजा इस्तदा है कि सिर्फ ज़ायद अख्राजात हज के मुतहामिल सेहतमन्द व निसबतन जवाँ उम्र हजरात ही तयशुदा उसूल व जवाबित के तहत हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) के लिए दरख्वास्त दें।
- हुज्जाजे कराम गैर रस्मी सफीर हैं लेहाजा सफर के तमाम मराहिल में खुश आइन्द अमल और अच्छे बर्ताव से मुल्क का नाम रोशन करें और मुकद्दस सफरे हज के तमाम उमूर को सही तौर पर अन्जाम दें।

1. ऐलान बराये हज

हज का अमल वज़ीर बराये अक्लीयती ऊमूर हुकूमते हिन्द की जानिब से ऐलान बराये हज के साथ ही शुरू होता है इसके फौरन बाद हज कमेटी ऑफ इन्डिया इलेक्ट्रानिक और प्रिन्ट मीडिया के जरिये आजमीने कराम को हज दरख्वास्त फार्म भरने की अव्वल व आखिर तारीख, मतलूबा पासपोर्ट की तफ्सीलात के अलावा मुख्तलिफ उमूर के लिए मुकर्रर मुख्तलिफ अय्याम और त्वारीख की मालूमात फराहम करती है।

2. हज के इन्तजामात

हिन्दुस्तानी आजमीने हज के इन्तजामात के लिए मुख्तलिफ एजेन्सियों को मुख्तलिफ काम सौंपे गये हैं। वज़ारते अकलियती उमूर के मातहत हज कमेटी ऑफ इंडिया हिन्दुस्तान में हज के इन्तेजामात अन्जाम देती है। रियासती हज कमेटियाँ इस काम में मुआविनत करती हैं। जिद्दा/मदीना एयरपोर्ट पहुँचने पर और ममलकते सऊदी अरबिया में कयाम के दौरान हुज्जाजे कराम की देखभाल और शिकायत के इजाले की जिम्मेदारी वजारते उमूर खारजा के मातहत कॉन्सलेट जनरल हिंद, जिद्दा की है। आजमीने हज को उनके सामान के साथ जिद्दा/मदीना एयरपोर्ट पर पहुँचाने की जिम्मेदारी वजारते

शहरी हवाबाजी की है। वजारते सेहत व खानदानी फलाह व बेहबूद उमूर हुज्जाजे कराम को जरूरी इन्जेक्शन/टीके अदवीयात और मुतालका तिब्बी इमदाद फराहम करता है।

3. आम मालूमात

हज दरख्वास्त पूर करने के लिए मुन्दर्जाजेल दस्तावेज़ का मौजूद होना लाजमी है हुज्जाजे कराम से गुजारिश है कि हज दरख्वास्त पूर करने के लिए मुन्दर्जाजेल दस्तावेज़ अपने पास पहले ही से महफूज कर लें।

1. **पासपोर्ट** : हज दरख्वास्त फार्म पूर करने के लिए आज़िम हज के पास मशीन से पढ़ा जाने लायक मुस्तनद हिन्दुस्तानी बैनुलएक्वामी पासपोर्ट लाजमी है। लेहाजा हर आज़िम को चाहिए कि हज दरख्वास्त फार्म पूर करने से पहले मशीन से पढ़ा जाने लायक मुस्तनद हिन्दुस्तानी बैनुलएक्वामी पासपोर्ट हासिल कर लें, ताकि ऐन मौका पर दुश्वारी न हो, हज के ऐलान के फौरन बाद वजारते खारजा तमाम इलाकाई पासपोर्ट दफातिर को हुज्जाजे कराम के लिए फौरी तौर पर पासपोर्ट की अशाअत का हुक्म जारी करती है।
2. **बैंक एकाउंट** : हर कवर हेड का हज दरख्वास्त फार्म पूर करने के लिए बैंक एकाउंट का होना इन्तेहाई जरूरी है, बेहतर है कि हर दरख्वास्तगुजार का अपना बैंक एकाउंट मौजूद हो ताकि वापसी की रकम (चाहे किसी बिना पर हो) सीधे इन्हीं के बैंक अकाउंट में जमा की जा सके।
3. **मोबाइल नंबर** : हुज्जाजे कराम को दी जाने वाली इत्तेलात एस.एम.एस (SMS) और आवाज में रिकार्ड इत्तलाअ (Voice Message) के जरिए दी जाती है। इसलिए हुज्जाजे कराम को मशवरा दिया जाता है कि हज दरख्वास्त फॉर्म में अपना ज़ाती मोबाइल नम्बर ही दर्ज करे, ताकि वक्त जरूरत इनसे बरायेरास्त राब्ता कायम किया जा सके। हज कमेटी ऑफ इंडिया/मुतालिका रियास्ती हज कमेटी की जानिब से पास्पोर्ट की असल, रूकूम की अदाएगी वगैरह से मुतालिक फौरी तौर पर एस.एम.एस मौसूल ना होने की सूरत में आजमीन हज की आखिरी तारीख गुजर जाने के बाद अपनी आरजी तौर पर मंजूर शुदा हज सीट के मुतालिक दावा नहीं कर सकते।
4. **आधार कार्ड** : हालांकि आधार कार्ड का होना लाजमी नहीं है ताहम हुज्जाजे कराम को चाहिए कि अपना आधार कार्ड बनवा लें और इसकी मतलूबा तफसील हज दरख्वास्त फॉर्म में मुखतिस कालम में पूर करे।

4. हज दरख्वास्त का अमल:

हूकूमते ममलकत सऊदी अरबिया ने आज तक हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022(सी.ई.) के लिए किसी भी रहनूमा खुतूत का ऐलान नहीं किया है लिहाज़ा ये रहनूमाई खुतूत आरज़ी है। ताहम कवी

इमकान है कि हूकूमते ममलकत सऊदी अरबिया इमसाल आजमीने हज के लिए अहेलियत बराये हज, सेहत, उम्र, समाजी फासले के जवाबित में इन्तेहाई तब्दीली का ऐलान कर सकती है। ये पाबन्दियां आजमीने हज के लिए सेहत से मुतअलिक प्रोटोकाल, समाजी फास्ले और उम्र की हद से मुतअलिक होंगी। अज़ हद इम्कान है कि वज़ारत हज व उम्रा, ममलकत सऊदी अरबिया आजमीने हज के लिए उम्र की हद 65 साल तक मुकर्रर कर सकती है। लेहाजा ये फैसला लिया गया है कि इमसाल हज के लिए सिर्फ 65 साल तक उम्र के आजमीन हज इस मौके पर हज की दरख्वास्त दें।

बिना मेहरम की ख्वातीन आजमीने हज : हज 2020 और हज 2021 की बिना मेहरम की हज दरख्वास्त गुजार ख्वातीन को हज 2022 ईसवी के लिए दरख्वास्त फार्म देने पर रूपये 300/-फी हाजी वापस न की जाने वाली प्रोसेसिंग फीस की अदायगी से मुस्तशना रखा गया है, ताहम इनके साथ दरख्वास्त देने वाली नई बिना मेहरम की ख्वातीन आजमीने हज को रूपये 300/-फी हाजी वापस न की जाने वाली प्रोसेसिंग फीस की रकम की अदायगी करनी होगी। फिलहाल उम्र की आरजी बंदिश का इतलाक 45 साल से जाएद और 65 साल तक की बिना मेहरम की ख्वातीन (LWM) के जुमरे पर भी होगा।

4.1 आरजी अहेलियत बराये हज :

हर हाजी के लिये जरूरी है कि वह प्रस्थान की तारीख से कम से कम एक महीना पहले तक (कोविड-19) कोरोना वायरस के लिए स्वीकृत दोनों खुराक हासिल कर लें। सिर्फ ऐसे ही हज यात्रियों को हज 1443 (हि.) 2022 (सी.ई.) में हज यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाएगी। इस सूरत मे हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम शहरी हज के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं सिवाय मन्दर्जाजेल के :

i) ऐसे दरख्वास्त गुजार जिनकी उम्र 10 जुलाई, 2022 को या इससे पहले 65 साल की हो चुकी हो।

ii) ऐसे अशखास जिनके पास मशीन से पढ़ा जाने लायक (Machine Readable) मुसतनद हिंदुस्तानी बैनुलएक्वामी पासपोर्ट न हो जो 31 जनवरी, 2022 (या दरख्वास्त की आखरी तारीख) या इससे कब्ल जारी किया गया हो और इसकी मिआद कम अजकम 31 दिसम्बर, 2022 तक हो।

iii) एक मुसलमान फर्द हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज ''जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा'' कर सकता है। लेकिन खातूने आज़िम हज के साथ बतौर मेहरम रिपीटर हज कर सकता है (अगर कोई शरई मेहरम मौजूद न हो जिसने पहले हज न किया हा)। अगर खातून आज़िम अपनी हज सीट मन्सूख करती है तो ऐसी सूरत में इस रिपीटर हाजी की हज सीट भी खुदबखुद मन्सूख हो जाएगी। ऐसी सूरत में इस रिपीटर हाजी को मजूजा खाके में इकरारनामा देना होगा। ताहम अगर ममलकते सऊदी अरबिया ऐसे रिपीटर आजमीन हज को खातून आज़िम (पहली मरतबा) के मेहरम के तौर पर भी सफर करने की इजाजत नहीं देती है तो ऐसी सूरत में ममलकत सऊदी अरबिया के जवाबित का इतलाक हतमी होगा।

iv) ऐसे अशखास जो मोहलिक कैन्सर, कलबी अमराज, जिगर, गुर्दा, वबाई तपेदिक के मर्ज और मतअदी बीमारी में मुब्तला हों। जायद उम्र और कोरोना वायरस वबाई मर्ज के पेशेनज़र ना अहल होंगे।

v) ऐसी खवातीन जिनके साथ शरई मेहरम न हो, मासिवा चार(4) खवातीन का ग्रुप जिनकी उम्र 45 साल से जायद हो मगर कोई मर्द शरई मेहरम के तौर पर इनके पास मौजूद न हो और इनका मसलक बगैर मेहरम इन्हें हज पर जाने की इजाजत देता हो, इन्ही चार(4) खवातीन के गुप में हज दरख्वास्त फॉर्म भरने की इजाजत होगी। वाजह हो कि सफरे हज के हर मरहले में खवातीन ग्रुप की तादाद चार(4) से कम नहीं होगी।

vi) हामला खवातीन और मुर्करा तारीख तक 65 साल से जायेद उम्र के अषखास को कोरोना वायरस अमराज के पेषेनजरे फिल वक्त हज पर जाने की इजाजत नहीं है।

vii) ऐसे अशखास जिनके बैरूनी मुल्क सफर करने पर किसी भी अदालत ने रोक लगाई हो।

viii) ऐसे किसी भी दरख्वास्तगुजार को हज पर जाने की इजाजत नहीं दी जायेगी जिसने सफरे हज के मुतालिक गलत जानकारी दी हो। ऐसे मामलात में उसे सफरे हज के किसी भी मरहले में नाअहल करार दिया जा सकता है, हत्ताकि मरकजे रवानगी पर हवाई जहाज से उतारा जा सकता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ऐसे अशखास की तमाम जमाशुदा रकम जब्त कर लेगी अलावा अज़ीं उन पर कानूनी चाराजोई भी की जा सकती है। ये जवाबित ऐसे दरख्वास्तगुजार पर भी लागू होंगे जिन्होंने इससे कब्ल हज अदा करने की बात न बताई हो। ये जाब्ता हजे बदल करने वालों पर भी लागू होगा।

ix) मौजूदा हालात के शरायत और पाबंदियों के पेशेनजर गैर मुकीम हिंदुस्तानी शेहरी (N.R.I) फिल वक्त हज दरख्वास्तगुजार देने के अहल नहीं होंगे।

x) लाज़मी क्वारन्टाइन (Quarantine) शरायत और पाबन्दियों के पेशेनजर गैर मुकीम हिन्दुस्तानी शहरी (NRI) फिल वक्त हज दरख्वास्त देने के अहल नहीं होंगे।

4.2 : दरख्वास्त देने का तरीका :

हज की दरख्वास्त का अमल मुकम्मल तौर पर डिजिटल कर दिया गया है। हज दरख्वास्त ऑनलाइन पूर करने के बाबत मुख्तलिफ मौजुआत पर जरूरी हिदायात, रहनुमाई, इशारात वगैरह छोटे-छोटे वीडियो क्लिप्स की शक्ल में यू ट्यूब पर मौजूद हैं। हुज्जाजे कराम से गुजारिश है कि हज दरख्वास्त फार्म ऑनलाइन पूर करने से पहले इन्हें जरूर बगौर देखें और बारहा पूँछे जाने वाले सवालात और उनके मुस्तनद जवाबात भी मुन्दर्जाबाला वेबसाइट पर मौजूद है। लेहाजा हाथ से लिखा हुआ/टाइपशुदा दरख्वास्तें कबूल नहीं की जायेंगी। आजमीन हज को हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेब साइट www.hajcommitttee.gov.in पर ऑनलाइन हज दरख्वास्त फॉर्म भरना है या गूगल प्लेस्टोर पर मौजूद हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऐन्ड्राइड मोबाइल ऐप्लीकेशन “HAJ COMMITTEE OF INDIA” के जरिये हज दरख्वास्त फॉर्म भरना है हुज्जाजे कराम मर्न्दजाजेल दस्तावेजाज को मुंसलिक कर के अपलोड करें।

i) **वापस न की जाने वाली रूपये: 300 की रकम बतौर प्रोसेसिंग फीस हरएक फर्द के लिए (सिर्फ ऑनलाइन)।**

ii) **हज दरख्वास्त फॉर्म (**HAF**) ऑनलाइन भरकर जमा करें।**

iii) **मशीन से पढ़ा जाने लायक (**Machine Readable**) मुश्तनद हिन्दुस्तानी बैनुलवक्वामी पासपोर्ट का पहला व आखरी सफा।**

iv) **मौजूदा पासपोर्ट साइज की तसवीर।**

v) **कवर हेड के कैन्सल चेक की कॉपी।**

vi) **अपने रिहाईश पते की सबूत की कॉपी, अगर मौजूदा रिहाईशी पता पासपोर्ट में मौजूद है तो पासपोर्ट की कॉपी काफी होगी दीगर मामलात में मुन्दर्जाजेल में से किसी की भी खुद की तश्दीक शुदा कॉपी, मुनासिब तरीके से भरी हुई हज दरख्वास्त फॉर्म (**HAF**) की डाउनलोड शुदा कापी के साथ मुन्सलिक करने होंगे।**

1. **आधार कार्ड 2. बैंक पासबुक 3. इलेक्शन कमीशन फोटो आई.डी कार्ड 4. या मुन्दर्जाजेल में से कोई भी पिछले तीन महीनों का यूटीलिटी बिल।**

i) **बिजली का बिल पपद्ध टेलीफोन बिल (लैन्ड लाइन)** iii) **पानी का बिल या गैस कनेक्शन बिल**

4.3 आखिरी तारीख :

हज दरख्वास्त फॉर्म (HAF) ऑनलाईन भरने की आखिरी तारीख **31 जनवरी, 2022.**

5. रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटी का तरीकाकार :

5.1 दरख्वास्त फॉर्म की मुतालिका रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटी के जरिये जाँच :

i) रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटी तमाम मोसूल शुदा ऑनलाइन हज दरख्वास्तों की मलफूजात के साथ ऑनलाइन जाँच करेंगी जैसाकि ऊपर दर्ज पैरा नम्बर 4.2 में दिया गया है। तश्दीक के बाद रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटी एक मुन्फरिद नम्बर, कवर नम्बर (Cover Number) हासिल (Generate) करेगी। हर रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटी मतलूबा जरूरी दस्तावेजात आजिमे हज के जरिये अपलोड न होने की सूरत में दरख्वास्तगुजार से फोन पर राब्ता करके दस्तावेजात की हार्ड कॉपी IHPMS सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगी।

ii) कुर्रा/इन्तेखाब के बाद रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटी को मुन्तखब शुदा आजमीने कराम से हज दरख्वास्त फॉर्म की डाउनलोडेड कॉपी मादस्तखत, पासपोर्ट, सेहत और

फिटनेट कार्ड, हज की रकम की पहली किस्त की अदायगी की रसीद और दिगर दस्तावेजात की हार्ड कॉपी हासिल करेगी और तस्दीक के बाद वसूसी रसीद (Acknowledgement) कवर हेड को जारी करेगी। दरख्वास्तों की तस्दीक रियासती/यूनियन टेरीट्री के ऐक्जिीक्यूटिव ऑफीसर या इनके जरिये मुकर्ररकर्दा किसी भी शख्स को करनी होंगी और साथ ही दरख्वास्तगुजार के रिहाईश के सबूत की जाँच करके, दस्तखत करके तौसीक करनी होगी कि वह आजिम इस रियासत के कोटे से हज करने का अहेल है।

iii) मेहरम के बगैर ख्वातीन के अलावा हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) के लिए तमाम दरख्वास्तें जनरल ज़मरा के तहत दर्ज होंगे। कुर्रा अन्दाजी में आरजी तौर पर जो आजमीन मुन्तखब हों इनके लिए लाज़मी है कि वह अपने असल पासपोर्ट जिसकी पुस्त पर एक अदद तस्वीर चिपकने वाली टेप से चिपकाई गई हो, अपने मुतालका रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटी में कुर्रा-अन्दाजी से एक हफ्ते के अन्दर या इससे कब्ल जमा करायें। मुताइना मिआद तक पासपोर्ट जमा न करने की सूरत में आरजी तौर पर मुन्तखब दरख्वास्तगुजारों को बगैर किसी मजीद इत्तेला के रद्द कर दिया जायेगा।

5.2 कवर

रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटी के जरिये हज दरख्वास्त की तौसीक के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ण्भ्ब्ै सॉफ्टवेयर के जरिये एक कम्प्यूटर से एक मुन्फरिद नम्बर- कवर नम्बर हासिल करती है, रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटियां हर कवर हेड को कवर नम्बर की इत्तेला करती है। आइन्दा तमाम खत व कितावत के लिए कवर नम्बर का इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। आजमीने कराम के लिए लाजिम है कि अपनी मुतालका रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटी से अपना कवर नम्बर हासिल करें, क्योंकि कोई भी हज की दरख्वास्त बगैर कवर नम्बर के कुर्रा के लिए काबिले कबूल नहीं होगी।

i) कवर से मुराद एक ग्रुप में एक साथ दरख्वास्त देने वाले अफराद हैं। एक कवर में सिर्फ एक ही खानदान के नजदीकी रिश्तेदार ही दरख्वास्त दें।

ii) कवर का सरबराह एक बालिग मर्द ही हो सकता है, जोकि कवर में मौजूद तमाम दरख्वास्तगुजारों की रकूम की अदायगी का जिम्मेदार होगा।

iii) एक कवर के तमाम दरख्वास्तगुजारों का रिहाईशी दर्जा एकसाँ होगा, एक कवर के तमाम दरख्वास्तगुजार एक साथ सफर करेंगे, किसी भी सूरत में एक कवर के आजमीन को अलग नहीं किया जायेगा।

iv) कवर हेड की जानिब से सफरे हज मन्सूख करने पर लाजिम है कि वह इसी कवर के दूसरे मर्द आजिम हज को नये कवर हेड के तौर पर मुताय्यन करे।

v) मर्द मेम्बर के जरिये खातून दरख्वास्त देहन्दगान के मेहरम को तबदील करने की इजाजत है जो कवर का हिस्सा नहीं है, कवर के अलावा किसी दूसरे मर्द दरख्वास्तगुजार को मेहरम

बनाने की इजाजत सिर्फ नागुजीर वजूहात मसलन मौत या तिब्बी वजूहात वगैरह की बुनियाद पर दी जायेगी।

vi) कवर का साइज कम से कम एक (1) दरख्वास्त और ज्यादा से ज्यादा पाँच (5) बालिग + दो (2) अतफाल की दरख्वास्तों पर ही मुशतमिल होना चाहिए। (अगर खानदान के अफराद की तादाद पाँच (5) से ज्यादा हो तो दरख्वास्तें एक से ज्यादा कवर में दर्ज की जायेंगी)

नोट : i) अतफाल ऐसे दरख्वास्त गुजार जो 15 अगस्त 2022 तक या आखिरी परवाज की वापसी तक उन दोनों में जो भी जल्द हो दो बरस मुकम्मल कर चुकें होंगे। मुताअय्यना अखराजात के मुताबिक अतफाल से हज की रूकूम वसूल की जाएगी।

ii) अतफाल के अलावह दिगर तमाम दरख्वास्त गुजार बालिगों के जुमरे में शुमार किये जाऐंगे और उनसे हवाई जहाज का पूरा किराया लिया जाएगा। असी मुनासिबत से उनहें हज की रकम की अदायगी करनी होगी।

vii) दरख्वास्तगुजार को चाहिए कि नामजद शख्स की तफसील, जिससे मुश्किल हालात में, हिन्दुस्तान या सऊदी अरबिया में राब्ता किया जा सके, दरख्वास्त फॉर्म में मुताइयन जगह पर सही तौर से इन्द्राज करें। नामजद शख्स दरख्वास्तगुजार का करीबी रिश्तेदार हो, क्योंकि आजिम की इन्तेकाल की सूरत में नामजद शख्स ही इसके किसी रिफन्ड/रकम के लेने का हकदार होगा।

viii) दरख्वास्तगुजार को हज दरख्वास्त में रिहाईशी पते की सही निशानदेही करना चाहिए। दूसरी रियासत में मुकीम दरख्वास्तगुजार को अपना मुश्तकिल पता (पैदाईश) की जगह वगैरह और (आधार कार्ड/पासपोर्ट वगैरह में दस्तयाब पता) वाजे करें।

ix) हज के दरख्वास्तगुजारों को चाहिए कि वह अपना जाती मोबाइल नम्बर दरख्वास्त फॉर्म में दर्ज करें न कि किसी दूसरे शख्स का खुशूसन किसी एजेन्ट का, जिसपर हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से उनके भेजे गये एस.एम.एस (SMS) मोसूल हो सके। इसके अलावा वाइस काल्स और पैगामात सिर्फ वक्तन फवक्तन रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर ही भेजे जायेंगे। ये मोबाइल नम्बर एस.एम.एस और एलर्ट मोसूल करने का मिजाज हों और ये मोबाइल नम्बर (Do Not Disturb) की रजिस्ट्री में दर्ज न हों।

x) हज फॉर्म में रकूम की वापसी (Refund) में सहूलत के मद्देनजर कवर हेड के बैंक एकाउंट की तफसील जो ऐसे बैंक में हो जिसमें ध्ैब्ब कोड मौजूद हो, हज के दरख्वास्त फॉर्म में दर्ज हों। क्योंकि किसी किस्म की रकम की वापसी RTGS/NEFT के जरिये ही की जायेगी। इन तफसीलात के सबूत में दरख्वास्तगुजार को बैंक के खाली कैन्सल शुदा चेक या बैंक पासबुक के पहले सफे की फोटोकापी मुन्सलिक करना जरूरी है।

नोट : गलत जानकारी देने पर हज दरख्वास्त को मन्सूख कर दिया जायेगा अलावा अर्जी जमा शुदा रकम भी जब्त कर ली जायेगी।

6. कोटा, कुर्रा और इन्तेखाब

6.1 कोटा

हुकूमते हिन्द और ममलकते सऊदी अरबिया के माबैन होने वाले करारनामे के मुताबिक हुकूमते हिन्द हज कमेटी ऑफ इंडिया का कोटा तय करती है। हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुख्तस कोटा को तमाम रियासतों और यूनियन टेराट्रीज के मुस्लिम आबादी के तनासुब से तकसीम किया जायेगा।

6.2 कुर्रा

कुर्रे से मुराद कम्प्यूट्राइज्ड कुर्रा-अन्दाजी है। ऐसी रियासतें/यूनियन टेरीट्री हज कमेटियों में जहाँ कोटे से ज्यादा दरख्वास्तें मोसूल हों, आजमीने कराम को आरजी तौर पर मुन्तखिब करने के लिए कवर नम्बर की कुर्रा-अन्दाजी, मुतालिक हज कमेटियों के जरिये होंगी। यह कुर्रा-अन्दाजी हज कमेटी ऑफ इंडिया के सरवर (Server) पर IHPMS सॉफ्टवेयर पर होगी। कुर्रा-अन्दाजी की तारीख और दिगर तफ्सीलात मुतालका रियासती हज कमेटियों की जानिब से वसी पैमाने पर इलेक्ट्रानिक और प्रिन्ट मीडिया के जरिये मुश्तहिर की जायेगी। कुर्रा-अन्दाजी के फौरन बाद मुन्तखब शुदा आजमीन की लिस्ट भी इलेक्ट्रानिक और प्रिन्ट मीडिया के जरिये वसी पैमाने पर मुश्तहिर की जायेगी, साथ ही आरजी तौर पर मुन्तखब शुदा आजमीने कराम को उनके इन्तेखाब की जानकारी दी जायेगी। हुज्जाजे कराम को दी जाने वाली इत्तेलात एस.एम.एस (SMS) और आवाज में रिकार्ड इत्तलाअ (Voice Message) के जरिए दी जाती है। इसलिए हुज्जाजे कराम को मशवरा दिया जाता है कि हज दरख्वास्त फॉर्म में अपना ज़ाती मोबाइल नम्बर ही दर्ज करे, ताकि वक्त जरूरत इनसे बरायेरास्त राब्ता कायम किया जा सके। हज कमेटी ऑफ इंडिया/मुतालिका रियास्ती हज कमेटी की जानिब से पास्पोर्ट की असल, रूकूम की अदाएगी वगैरह से मुतालिक फौरी तौर पर एस.एम.एस मौसूल ना होने की सूरत में आजमीन हज की आखिरी तारीख गुजर जाने के बाद अपनी आरजी तौर पर मंजूर शुदा हज सीट के मुतालिक दावा नहीं कर सकते।

7. वेटिंग लिस्ट से आजमीने हज का इन्तेखाब

i) आजमीने के जरिये इन्तखब मन्सूख कराने या किसी और वजह से हज सीटों की दस्तयाबी की सूरत में मुतालका रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटियों की वेटिंग लिस्ट के दरख्वास्तगुजारों मे से बिल्कुल तरतीबवार आरजी तौर पर इन्तेखाब करेगी। वेटिंग लिस्ट के इन्तेखाब में किसी किस्म की बेतरतीबी कतअन नहीं की जायेगी।

ii) आरजी इन्तेखाब सिर्फ मुकम्मल कवर नम्बर का किया जायेगा और किसी भी सूरत में कवर नम्बर को तोड़ा नहीं जायेगा।

iii) हज कमेटी ऑफ इंडिया तमाम रद्द की हुई सीटों के एवज में मुन्तखब शुदा आजमीन की तफसील रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटियों को बतायेगी जो कि मुन्तखब शुदा दरख्वास्तगुजारों को तफसील मुहैया करेगी।

iv) हिंदुस्तान से रवाना होने वाली आखिरी परवाज से दस रोज कब्ल आखिरी बार वेटिंग लिस्ट में से हुज्जाजे कराम का इन्तेखाब किया जायेगा जिसकी रू से शुरूआती तमाम वेटिंग लिस्ट

मुस्तरद हो जायेगी। हज के तमाम अख्राजात की मुकम्मल रकम अदा करने वाले वेटिंग लिस्ट में मौजूद दरख्वास्त को ही मन्जूर किया जायेगा। तमाम अख्राजात की मुकम्मल रकम अदा न करने वाले वेटिंग लिस्ट में मौजूद दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया जायेगा। मुकम्मल तौर से पूर ऑनलाइन हज दरख्वास्त के साथ मुन्दर्जाबाला दस्तावेजात की खुद तश्दीक शुदा कापियां मुन्सलिक करें।

इन्तेबाह

ऐसे तमाम दरख्वास्तों को किसी भी मौके पर रद्द किया जा सकता है। जिन्होंने गलत पता दिया हो या एक से जायद मर्तबा एक ही या उससे जायद रियासतों/यूनियन टेरीट्री में हज के लिए दरख्वास्त दी हो और ऐसे दरख्वास्त गुजार जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब इससे कब्ल हज कर चुके हों और छुपाया ना हो या इसकी गलत मालूमात दी हो, ऐसे किसी भी दरख्वास्त गुजार को हज पर जाने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी और ऐसे किसी भी दरख्वास्तगुजार को हज पर जाने की इजाज़त कतई नहीं दी जायेगी और मरकजे रवानगी पर आखिरी वक्त में हवाई जहाज़ तक से उतार लिया जायेगा, ऐसे दरख्वास्तगुजार की जानिब से जमा की हुई रकम भी जब्त कर ली जायेगी। इस से इलावह ऐसे दरख्वास्तगुजार खिलाफ कानूनी कारवाई भी की जायेगी।

8. दस्तावेजात और रकम की अदायगी :

आरज़ी तौर पर मुन्तखब हज दरख्वास्तगुजार मुन्दार्जाजेल असल दस्तावेजात रजिस्टर्ड पोस्ट/कूरियर के जरिये या जाती तौर पर उनकी सहूलत के मुताबिक रियासती/यूनियन टेरीट्री को पेश करें।

i) तमाम मलफूजात के साथ हज दरख्वास्त की डाउनलोड शुदा कापी जिस पर अपने दस्तखत/अंगूठे का निशान लगा हो।

ii) हेल्थ और फिटनेस सर्टीफिकेट डाउनलोड करके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टीशनर से खुद जाँच करवायें और सर्टिफिकेट हासिल करें। सर्टिफिकेट का खाका जल्द ही ऑनलाइन दस्तयाब कराया जायेगा।

iii) असल पासपोर्ट

iv) असल रसीद/पेशगी हज रकम की अदायगी का सबूत

9. लागत, अदायगी और कम्फर्मेषन :

हज कमेटी ऑफ इंडिया असली लागत की बुनियाद पर हज का इन्तेजाम करती है, यानी हवाई जहाज़ का किराया एयरलाइन्स को, रिहाईश और लाजमी अखराजात ममलकत सऊदी अरबिया को जिसमें मोअल्लिम फीस, ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज, वीजा फीस और दिगर अखराजात शामिल हैं अदा किये जाते हैं। हर साल हज की तकमील और काउन्ट्स को हतमी शकल देने के बाद आजमीन को बकिया रकम कवर हेड के बैंक एकाउंट में वापस कर दी जाती है। सऊदी वजारते हज व उम्रा ने मतला किया है कि हज 2022 के अखराजात गुजिश्ता वर्षों के मुकाबले दो गुना होंगे। हज 2019 में होने

वाले अख्राजात की तफसीलात हज कमेटी की वेबसाइट पर दस्तयाब है (सर्क्युलर नम्बर-20 में), हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) के लिए मुमकिना अख्राजात मुन्दर्जाज़ेल है।

कुल अख्राजात बराये हज

नंबर शुमार	हज का साल	अख्राजात की हद	रिमार्क
1.	2019	2,36,000/-से 3,22,000/-	असल अख्राजात
2.	2020	2,50,000/-से 3,50,000/-	मुमकिना अख्राजात (हज 2020 की मन्सूखी की वजह से रकम मालूम नहीं)
3.	2021	3,30,000/-से 4,00,000/-	मुमकिना अख्राजात (हज 2021 की मन्सूखी की वजह से रकम मालूम नहीं)
4.	2022	3,35,000/-से 4,07,000/-	कोन्सलेट जनरल ऑफ इंडिया/जिद्दा बराए हिंद की जानिब से मोसूल हज 2022 प्रोटोकाल की मुनासिबत से होने वाले मुमकिना अख्राजात इस तरह है i) सऊदी हुकूमत ने अशया और खिदमात पर वैट(VAT) बढ़ाकर 15/फीसद (पहले 5/फीसद) कर दिया है। ii) नई हज वीजा फीस /300/- सऊदी रियाल फी हाजी जो पहले वसूल नहीं की जाती थी। iii) 100/-सऊदी रियाल सेहत के बीमा के तौर पर इजाफी खर्च। iv) मक्का मुर्करमा और मदीना मुनव्वरा में रिहाईश का का किराया वैट(VAT) में इजाफे और जगह/हाजियों के जरूरियात और दिगर इजाफी जरूरियात में मुमकिना इजाफे के वजह से बढने का इमकान है। v) वैट(VAT) में इजाफे और कोविड-19 की वजह से इजाफी उसूलों की मुमकिना जरूरत के वजह से नकल व हमल की लागत में इजाफे का इमकान है। vi) कोविड-19 के पेशे नजर लाजिमी खिदमात और नये उसूलों के मुमकिना तारुफ की वजह से मशायर में खिदमात की लागत में नुमायाँ इजाफा मुतवक्के है जो कि हज 2019 में सऊदी रियाल 1050/- से बढका अब सऊदी रियाल 2500/- तक।

ताहम ये एक आरजी तखमीना है। म्मलकत सऊदी अरबिया के जरिये आयद किये जाने वाले रेहनेमा खुतूत व कवायद बराए हज 2022 के बाद ही हज 2022 में होने वाले कुल खर्च का पता चलेगा।

9.1 बैंक रिफरेन्स नम्बर

तमाम आरजी तौर पर मुन्तखिब शुदा आजमीने कराम को एक बैंक रिफरेन्स नम्बर दिया जायेगा, ये नम्बर रियासती हज कमेटियां आरजी तौर पर मुन्तखब शुदा आजमीन को आरजी इन्तेखाबी खत में दर्ज करके

अरसाल करेगी। पेशगी और बकिया हज की रकम की अदायगी के लिए से बैंक रिफरेन्स नम्बर पे-इन-स्लिप में मौजूद कालम में जरूर दर्ज करें।

9.2 हज की पेषगी रकम

हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) के आरज़ी तौर पर चुने गए आज़मीने कराम के लिये 81,000/- (इक्कियासी हज़ार रूपये) (पेशगी हज की रकम 80,000/-. 1000 रूपय दीगर अख़राजात) पेशगी रकम मुकर्रर की गई है।

9.3 रकूम की अदायगी

i) रकूम की अदायगी मुकर्ररा अवकात में हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारीकर्दा हिदायत के मुताबिक अदायगी हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ऑनलाइन जमा की जा सकती है, हज कमेटी ऑफ इंडिया/रियासती/यूनियन टेराट्री हज कमेटियां सीधे सीधे किसी भी बैंक ड्राफ्ट/चेक या नकद रकूमात कबूल नहीं करेगी। अदायगी का अमल ऑनलाइन और असल वक्त की बुनियाद पर मबनी होगा, रकम की अदायगी के बाद आजिम हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर स्टेटस चेक कर सकते हैं और कवर हेड के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर भी एक एस.एम.एस. भेजा जायेगा। अगर ये सिस्टम में जाहिर नहीं होता है या आजिम को मैसेज (Message) नहीं मिलता है तो हाजी इन्फार्मेशन सेन्टर (24 ग 7) या टेलीफोन नंबर 022-22107070 से या मुताअल्लिका बैंक ब्रांच से फौरी राब्ता करें जहाँ रकम की अदायगी की गई हो ।

ii) आजमीन को गलत एकाउंट में अदायगी से बचने के लिए पे-इन-स्लिप पर कवर नंबर एहतेयातन (Carefully) लिखना चाहिए ताकि कवर नंबर या बैंक खाते में रकम जमा ना हो सके।

iii) हुज्जाज को मशवरा दिया जाता है कि ऑनलाइन अदायगी, एकाउंट टू एकाउंट ट्रान्सफर, बैंक टू बैंक ट्रान्सफर, रकम जमा करने और दुसरे ऑनलाइन तरीकों का ही इस्तेमाल करें।

9.4 हज की बकिया रकम

हज कमेटी ऑफ इंडिया हर हाजी को मरकज़े रवानगी पर सऊदी रियाल 2100/- तक़सीम करेगी। सऊदी रियाल 2100/- के एक्सचेंज रेट को तय करने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया टेंडर निकालती है। उसी बनियाद पर ममलकते सऊदी अरबिया और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ एजेन्सियों के जरिये तमाम टेन्डरों को हतमी शकल देने के बाद हज 2022 की बाकी रकम को एक अलग सर्क्युलर के जरिये मुत्तला किया जायेगा।

9.5 कुर्बानी (Adahi):

सऊदी हुकूमत से मन्जूर शुदा इस्लामिक डेवलपमेन्ट बैंक (IDB) के जरिये हज कमेटी ऑफ इंडिया उन आजमीने केराम के लिए कुर्बानी (Adahi) का इन्तेजाम करेगी जिन्होंने हज दरख्वास्त में इसका इजहार किया हो और ऐसे आजमीन से सऊदी रियाल 500/- (लगभग रूपयेः 10,000/-) की अदायगी की हो। कुर्बानी (Adahi) कूपन हिन्दुस्तानी हज मिशन के जरिये हज से पहले फराहम किये जाते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिये कुर्बानी अदा करने का इजहार हज दरख्वास्त फार्म में मुख्तस कालम में दर्ज करें। हर साल बेइमान अनासिर के जरिये सस्ते कूपन फराहम करने के नाम पर धोका देही मुतअदिद वाक्यात सामने आते हैं जिसके पेशेनजर हरसाल आजमीन हज को हज कमेटी या सऊदी हुकूमत से मन्जूर शुदा एजेन्सी के जरिये कुर्बानी अदा करने का मशवरा दिया जाता है। कुर्बानी के अन्जाम देने की हैसियत और वक्त की तस्दीक प्क्ठ की वेबसाइट से की जा सकती है।

9.6 रकम की अदायगी हज सीट कन्फर्म होने की जामिन नहीं है।

अगर कोई दरख्वास्तगुजार गलत मालूमात/गलत बयानी/झूठे दस्तावेजात की बिना पर आरजी तौर पर मुन्तखब/कन्फर्म होता है तो उसका सफरे हज किसी भी मरहले में मन्सूख किया जा सकता है। जिहाजा हज अखराजात की रकम की मुकम्मल अदायगी हज पर जाने की जमानत नहीं है।

10. मन्सूखी (Cancellation)

i) अगर कोई मुन्तखब शुदा दरख्वास्तगुजार किसी भी वजह से अपनासफरे हज मन्सूख/रद्द करना चाहता है तो उसे चाहिए कि मशरूअ फार्मेट में अपने मन्सूखी के वजह की तफसील दर्ज करके अपनी मतालका रियासती हज कमेटी में जमा कराये।

ii) रियासती हज कमेटी की तोसत से मन्सूखी की इत्तला मिलते ही हज कमेटी ऑफ इंडिया मन्सूखी का फैसला लेगी। और मन्सूखी को IHPMS के सॉफ्टवेयर में निशानजद किया जायेगा।

iii) मन्सूखी हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के जरिये भी ऑनलाइन की जा सकती है।

iv) मन्सूखी के बाद किसी भी बुनियाद पर उसका दुबारा मन्जूर नहीं किया जायेगा।

v) अगर कोई मुन्तखब शुदा दरख्वास्तगुजार पासपोर्ट या रकम दोनों मुतय्यना तारीखों तक जमा करने में नाकाम रहेगा तो उसका इन्तेखाब सरसरी तौर पर मन्सूख कर दिया जायेगा।

vi) दरख्वास्त की मन्सूखी की सूरत में रुकूम की वापसी हिदायत के पैराग्राफ-11 के तहत कार्यरित की जायेगी।

11. रुकूम की वापसी

हज दरख्वास्त मन्सूख कराने पर उस दिन से दो माह के अन्दर जमा शुदा रकम की वापसी की जायेगी, दरख्वास्तें मुकर्ररा खाके में मोसूल होनी चाहिए ताहम दिगर अखराजात के तौर ली गई रूपये

एक हज़ार (1,000/-) की रकम किसी भी मरहले मे वापस नहीं की जायेगी इसके अलावा हज सीट की मन्सूखी पर आज़िम हज की वापसी की रकम में से दर्जजेल रकम की कटौती होगी।

नम्बर	तफसीलात	कटौती फी आज़िमे हज
1.	20 फरवरी, 2022 तक	रूपयेः 1,000/-
2.	21 फरवरी, 2022 से 20 अप्रैल, 2022 तक	रूपये 5,000/-
3.	21 अप्रैल, 2022 से मुकर्ररा परवाज़ की तारीख तक	रूपये 10,000/-
4.	गैर हाजिर (Non-Reporter)/गायब हो जाने पर/हवाई जहाज़ में सीट कन्फर्म करने के बाद/सफरी कागजात हासिल करने के बाद।	रूपये 25,000/-या एकतरफा हवाई जहाज़ का किराया जो भी ज्यादा हो।

1. ताहम जवाबित का एतलाक ऐसे आज़िम पर नहीं होगा जिसके सफर की मन्सूखी इन्तेकाल या किसी तशवीशनाक बीमारी/ऐक्सीडेन्ट की वजह से आजिम हज सफरे हज के नाकाबिल करार पाये, इस सिलसिले में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिीशनर से तसदीकनामा दरकार होगा, ऐसी सूरते हाल में रूपयेः 1,000/- फी हाजी काट लिये जायेंगे।
2. हाजी को कोरोना वायरस (Covid-19, Pandemic) प्रोटोकाल की बुनियाद पर सफर करने की इजाजत न होने की सूरत में भी कटौती नहीं की जायेगी।
3. चूँकि चार्टर्ड फ्लाइट की टिकटें नाकाबिले मुन्तकिल होती हैं इसलिए वापसी सफर के टिकट को किसी भी वजूहात की बिना पर इस्तेमाल में न लाने की सूरत में वापसी के सफर का किराया आजिमे हज को लौटाया नहीं जा सकता। बजूज आजिमे हज के सऊदी अरबिया में इन्तेकाल की सूरत में, जो कि मरहूम हाजी के नामजद (Nominee) को लौटाया जायेगा।
4. गैर हाजिर (Non-Reporter) वह आजिम हैं जिसे परवाज की तारीख दी गई हो मगर इसने मुतालका मरकजी रवानगी पर रिर्पोट न किया हो। मुताय्यना परवाज के रवाना होने के बाद किसी आजिम की जानिब से सफरे हज को मन्सूख करने की दरख्वास्त मोसूल होने पर भी वह आजिम गैर हाजिर (Non-Reporter) माना जायेगा।
5. सफरे हज की मन्सूखी की दरख्वास्त क साथ जमा की गई रकम की पे-इन-स्लिप, मेडिकल, मौत की सनद की कापियां मुन्सलिक करें।
6. अगर रकम ऑनलाइन जमा कराई गई हो तो रकम की वापसी भी इसी तरह होगी।
7. मरहूम आजिम हज के अलावा तमाम रकम की वापसी हज दरख्वास्त में मौजूद कवर हेड के एकाउंट में ही की जाती है। फौत शुदा हाजी के नामजद को उसके एकाउंट में फौत शुदा आजिम की वापसी का मुआवजा दिया गया है।
8. मुतालिका रियासती/यूनियन टेरीट्री हज कमेटी में दीगर मतलूबा दस्तावेज़ात और रूपये 81,000/- की पे-इन-स्लिपे जमा करने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया आज़मीन-ए-कराम के आरजी इन्तेख़ाब की तस्दीक करेगी लेकिन हज-2022 के सिलसिले में ममलकत-ए-सऊदी अरबिया का फैसला हतमी होगा।

12. मरकजे रवानगी (Embarkation Points)

12.1 मरकजे रवानगी में तखफीफ

कोरोना वायरस के पेशेनजर इम्बार्केशन प्वाइन्ट्स मौजूदा तादाद (10) की गई है। ये दस इम्बार्केशन प्वाइन्ट्स हैं 1. कोचीन 2. नई दिल्ली 3. गुवाहाटी 4. लखनऊ 5. श्रीनगर 6. अहमदाबाद 7. बैंगलूरू 8. हैदराबाद 9. कोलकाता 10. मुम्बई।

12.2 मुताअय्यना मराकजे रवानगी का इंतेखाब

तमाम आज़मीने किराम के मराकजे रवानगी का फैसला उनके मौजूदा रिहाईशी पते (जो कि हज दरख़्वास्त फार्म में दर्ज हैं, न कि पासपोर्ट में) के मुताबिक़ किया जाता है। हज 2022 में हुज्जाजे किराम से हवाई जहाज का पूरा किराया लिया जाएगा जो नागरिक उ यन मंत्रालय टेन्डर के ज़रिये तय करेगी। ताहम हुज्जाजे किराम को इख़्तेयारी करीबी इम्बार्केशन प्वाइन्ट चुनने की इजाज़त होगी। हवाई सफर का असल किराया (एयरपोर्ट चार्जेज़ और सर्विस टैक्स मिला कर) ख़ाके में दिये हुऐ मुताअल्लिका इम्बार्केशन प्वाइन्ट के लिये अलग होगा वाजेह रहे के हज 2022 में हवाई जहाज़ के किराये की रकम में तब्दीली मुतवक्के है जो के टेन्डर के जरिये सामने आएगी। आज़मीने कराम को अपने हालिया पते की मुनासिबत से बनने वाले नीचे दिये गए इम्बार्केशन प्वाइन्ट से ही सफरे हज के लिए रवाना किया जाएगा। सफरे हज से वापसी भी इसी इम्बार्केशन प्वाइन्ट पर होगी जहाँ से सफर शुरू किया था इम्बार्केशन प्वाइन्ट में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। बहरेहाल किसी नागहानी सूरत में हाजी को किसी दूसरे इम्बार्केशन प्वाइन्ट से भेजने के जुमला हुकूक़ हज कमेटी ऑफ इंडिया महफूज़ रखती है। पूरे कवर का इम्बार्केशन प्वाइन्ट एक ही होगा, हुज्जाजे कराम नीचे दिए गए ख़ाके में दर्ज तीसरे और चौथे कॉलम में से एक इम्बार्केशन प्वाइन्ट का इन्तेख़ाब अपने रिहाईशी सूबे/जिले के एतबार से कर सकते है और इसी एतबार से हवाई जहाज़ के किराये की रक़म अदा करनी होगी।

मौजूदा आलमी वबा कोरोना वायरस के पेषेनजर रिहाईषी सूबे/जिले के एतबार से नजदीकी फासले की बुनियाद पर तषकील दिये गए नए इम्बार्केषन प्वाइन्ट्स मुंदर्जाजेल हैं।

नंबर शुमार	सूबा/यूनियन टेरीट्री/जिला के रहने वाले	मरकज़े रवानगी (बुनयादी)	मरकज़े रवानगी (इख़्तयारी)
1.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद
2.	रियासते कर्नाटक के तमाम अजला और आन्ध्रा प्रदेश का चित्तूर जिला	बैंगलूरू	बैंगलूरू
3.	केरला, लक्षद्वीप और माहे (पुडुचेरी), तमिलनाडु, पुडुचेरी, जजायर अन्डमान व निकाबार	कोचीन	कोचीन
4.	दिल्ली, पंजाब, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, चन्डीगढ़, उत्तराखन्ड और उत्तर प्रदेश (मगरबी अजला यानी आगरा, अलीगढ़, बागपत, भीमनगर (संभल), बिजनौर, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, ज्योतिबा फुले नगर, महामाया नगर (हाथरस), मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, पंचशील नगर, (हापुड़), प्रबुद्ध नगर (कैराना, शामली), रामपुर, सहारनपुर और राजस्थान	नई दिल्ली	नई दिल्ली
5.	आसाम, मेघालय, मनीपुर, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम	गुवाहाटी	कोलकाता
6.	आन्ध्रा प्रदेश के तमाम अजला सिवाए चित्तूर जिला और तिलंगाना स्टेट के तमाम अजला	हैदराबाद	हैदराबाद

नंबर शुमार	सूबा/यूनियन टेरीट्री/जिला के रहने वाले	मरकज़े रवानगी (बुनयादी)	मरकज़े रवानगी (इख़्तयारी)
7.	मगरबी बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, झारखंड और बिहार	कोलकाता	कोलकाता
8.	उत्तर प्रदेश (वस्ती अजला यानी अम्बेडकर नगर, औरैया, बदायूँ, बाँदा, बहराइच, बलरामपुर, बाराबन्की, बरेली, बस्ती, सी.एस.एम. नगर (अमेठी), ऐटा, चित्रकूट, इटावा, अयोध्या (फैजाबाद), फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गोन्डा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झाँसी, कन्नौज, कानपुर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, पीलीभीत, प्रतापगढ, राय बरेली, रामाबाई नगर, कानपूर (देहात), संत कबीर नगर, शाहजहाँ पुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सुल्तान पुर और उन्नाव)।उत्तर प्रदेश (मशरिकी अजला यानी प्रयागराज (इलाहाबाद), आज़मगढ़, बलिया, देवरिया, चन्दौली, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, मऊ, महाराज गंज, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र और वाराणसी)	लखनऊ	लखनऊ
9.	महाराष्ट्र के तमाम अजला, मध्य प्रदेश के तमाम अजला, छत्तीसगढ़, दमन दीव, दादरा एवं नागर हवेली और गोवा।	मुंबई	मुंबई
10.	जम्मू व कश्मीर, यूनियन टेरीट्री और लेह लद्दाख और कारगिल यूनियन टेरीट्री।	श्रीनगर	नई दिल्ली

मिसाल : श्रीनगर ज़िले के आज़मीने हज श्रीनगर या दिल्ली में से किसी एक इम्बार्केशन प्वाइन्ट का इन्तेख़ाब करेंगे, अगर वह श्रीनगर का इन्तेख़ाब करते हैं तो उन्हें हवाई जहाज़ के किराये की रक़म दिल्ली के ब निस्बत जायद रकम अदा करनी होगी। इम्बार्केशन प्वाइन्ट का चुनाव अंतिम होगा और इसे तब्दील नहीं किया जाएगा क्योंकि इसी बिना पर टेन्डर के काम को अन्जाम में दिया जाएगा।

13. परवाज से कब्ल टीके और सेहत से मुताल्लिक ज़रूरियात

13.1 वजारते सेहत ममलकत सऊदी अरबिया हज-2022 सेहत से मुतालिक, प्रोटोकाल जिसमें उम्र की पाबन्दी भी बैरून मुल्क से आने वाले हुज्जाजे कराम के लिए शाामिल है, को हतमी शक्ल देगी और रेहनेमा खुतूत जारी करेगी। कोरोना के चलते बैरून मुल्क परवाज करने वाले मुसाफिरों के लिए सेहत से मुतालिक जवाबित इन्तेहाई सख्त कर दिये गये हैं। सेहत से मुतालिक जवाबित आने वाले दिनों की तफसील जारी की जायेगी और हज-2022 का इनेकाद मुकम्मल तौर पर ममलकते सऊदी अरबिया के जरिये जारीकर्दा जवाबित व कवायद के तहत ही होगा।

13.2 आरजी तौर पर मुंतखिब आजमीने हज को सेहत और तन्दुरूस्ती के सर्टिफिकेट का खाका हुज्जाजे कराम को जल्द ही फराहम किया जायेगा। सेहत आमा और बैनुलएक्वामी हवाई सफर से मुतालिक प्रोटोकॉल की रू से मौजूदा रायज जवाबित पर सख़्ती से अमल करना होगा। आजमीने हज को हुकूमते हिंद और ममलकते सऊदी अरबिया के जरिये जारीकर्दा फन|त|छज्प्छत्म से मुतालिक जवाबित पर भी मुकम्मल तौर पर अमल करना होगा।

13.3 फिल वक्त हिन्दुस्तानी आजमीने हज को 135 ACYM का टीका दिया जाता है। तमाम मुन्तखब आजमीने हज के पास टीके लिये जाने की सनद (Certificate of Inoculation) का होना निहायत ही जरूरी है।

13.4 तमाम मुन्तखब शुदा आजमीने हज के लिए लाजिम है कि दिमागी बुखार के टीके लेकर इससे मुतालिक सर्टिफिकेट हो, अपने साथ जरूर रखें और इस मेडिकल सर्टिफिकेट का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफीसर से तश्दीक कराना जरूरी है। नामुकम्मल और गैर तश्दीक शुदा सर्टिफिकेट काबिले कबूल नहीं होंगे। इस ताल्लुक से हज कमेटी ऑफ इंडिया हर साल हज हाउस मुम्बई में मेडिकल जाँच और उसके बाद दिमागी बुखार के टीके लगवाने के लिए जरूरी एक्देमात करती है और आजमीने हज को सर्टिफिकेट जारी करती है। इसी तरह पूरे मुल्क में रियासत/यूनियन टेरीट्री हज कमटियों और जिला इन्तेजामिया भी अपने मुतालका रियासत के आजमीने हज के लिए दिमागी बुखार के टीके लगवाने के जरूरी एक्दामात करते हैं।

13.5 कोरोना की वजह सऊदी वजारते सेहत आने वाले वक्त में नये रहनुमा खुतूत जारी कर सकती है जिसकी रू से इजाफी टीके वगैरह भी जरूरी होंगे।

13.6 वीजा हासिल करने के जरूरी है कि आजमीने हज के टीका लिये होने का सर्टिफिकेट पासपोर्ट के साथ रायल कॉन्सलेट ऑफ सऊदी अरबिया में जमा किया जाये। ऐसा न होने पर हज वीजा नहीं लगेगा।

13.7 आजमीने हज को चाहिए कि अपना टीको वाला कार्ड (Vaccination Card) पूरी तरह महफूज रखें और जिम्मेदारान के जरिये जिद्दा/मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर पूँछे जाने पर बताने के लिए तैयार रखें। बिना (Vaccination Card) हुज्जाजे कराम को सऊदी अरबिया में दाखिला ममनूअ करार दिया जा सकता है।

14. तरबियत व वाकफियत (Training and Orientation)

14.1 आरजी तौर पर मुंतखिब हर हाजी को कम अज कम तीन (3) मर्तबा तरबियती कैम्प में हाजिर होना और वहाँ दी जाने वाली हिदायात पर अमल पैरा होना लाज़िमी है। सेहत और तरबियत से मुतालिक तफसीली मालुमात हासिल करें और ट्रेनिंग, हैल्थ और वैक्शीनेशन कांड में दंर्ज करा लें।

14.2 हुज्जाज-ए-कराम को चाहिए कि सऊदी अरबिया में दौराने सफर दरपेश आने वाले मसाइल और उनके इज़ाले के लिए जारीकर्दा इमर्जेन्सी टेलीफोन नंबर, हज की रसूमात, इबादात व रियाज़ात, खुसूसी तौर पर सेहत, सफाई और अख्लाक से मुतालिक सऊदी अरबिया में मिलने वाली सहुलियात खुसूसी तौर पर मशायर में आमदोरफ्त से मुतालिक तमाम जानकारियों से अपने आपको मुज़य्यन कर लें ताकि हज के इस मुक़द्दस सफर में दरपेश सउबतों से अपने आपको महफूज रख सकें।

14.3 कोरोना वायरस की आलमी वबा के पेशेनजर आज़मीन अपने इस मुक़द्दस सफर-ए-हज में हिफाज़ती इक़्दामात, हिफ्ज़ान-ए-सेहत, समाजी दूरी से मुतालिक उसूल व ज़वाबित और मुबाहात व ममनुआत वगैरह के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करें।

14.4 रियासती हज कमेटी की मोआविनत से हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिये तरबियत याफ्ता अफराद ;ज्तंपदमतद्ध के ज़रिए आज़मीन-ए-हज को तरबियत दी जाएगी।

14.5 हज कमेटी ऑफ इंडिया हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) से मुतालिक तरबियत के मराहिल को हतमी शकल देकर तमाम मुतालिक़ा लोगों को उसकी जानकारी देगी।

15. सामान (Baggage)

कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से आयद पाबन्दियों की बुनियाद पर तमाम आलम में सामान सफर की पाबन्दी भी आयद कर दी गई है। चूँकि हज अदायगी जून-जुलाई महीने में होने वाली है। लेहाजा फिल वक्त सफरे हज में की जाने वाली पाबन्दियों के बारे में कयास करना कब्ल अजवक्त होगा (पेशनगोई)।

15.2 ताहम सामान के साइज और वजन में कमी के बारे में इत्तला दी जा चुकी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के तमाम मुन्तखिब आज़मीने हज को 20 किलोग्राम वज़न तक के लिए (2) दो बैग ख्लम्बाई +चौड़ाई +ऊँचाई =75 +55 +28 सेन्टीमीटर =158 सेन्टीमीटर या 29.5 +29.70 +11 इन्चेज़ = 62. 20 इन्चेज़ ज़्यादा से ज़्यादा कुल तूल व अर्ज और सात किलोग्राम तक सामान के लिए मौजू एक केबिन बैग, ख्लम्बाई +चौड़ाई +ऊँचाई = 55 +40 +23 सेन्टीमीटर =118 सेन्टीमीटर या 21.75 +15.75 +9 इन्चेज़ = 46.5 इन्चेज़ ज़्यादा से ज़्यादा कुल तूल व अर्ज ले जाने की इजाजत होगी। हुज्जाजे कराम को सिर्फ मयारी साइज के बैगेज (सामान) ही ले जाने की इजाजत होगी, किसी भी सूरत में गैर मयारी बैग ले जाने की इजाजत नहीं होगी।

15.3 हुज्जाजे कराम सामान की आसानी से पहचान करने के लिए अपने बैगेज पर जली हुर्फो में मोटे मार्कर पेन से कवर, नाम, पता, फ्लाइट नम्बर और इम्बार्केशन प्वाइन्ट वगैरह का इन्द्राज करें। इन अलामात के बगैर गुमशुदा सामान की तलाश मुश्किल होगी।

15.4 हुज्जाजे कराम हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हज कैम्प में दीगर दस्तावेजात के साथ दिये जाने वाले बैगेज स्टीकर्स अपने सामाने सफर पर चस्पा करें ताकि उनका सामान उनकी जॉये रिहाईश तक बाआसानी पहुँचाया जा सके।

16. ममनुआत व दिगर तेहदिदात

16.1 ममनूअ व दीगर पाबन्दी वाली अशिया व अदवियात ले जानाः खशखश वायग्रा (Viagara) गोली, जिन्सी तेल या क्रीम, मशनवी कपूर, सिस्टोन, खमीरा, गुटखा, खैनी, गुल, पिपरमेन्ट या इस तरह की कोई भी नशीली अशिया किसी भी शक्ल में ले जाने की सख्त ममानियत है, ऐसे सामान ले जाने वाले आजिम का सफरे हज मन्सूख कर दिया जायेगा। अलावा अर्जी ममनुअ अशिया ले जाने की पादाश में सख्त तरीन जर्माना भी आयद होगा। और ऐसे अश्खास को सऊदी अरबिया से फौरी तौर पर हिन्दुस्तान वापस भेज दिया जायेगा और मुतालका एजेन्सियों के जरिये ऐसे आजिमे हज के खिलाफ जरूरी कार्यवाही भी की जायेगी।

16.2 किसी भी किस्म की आतिशगीर अशिया जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, और स्टोव वाली अशिया किसी भी शक्ल में अपने साथ न ले जायें। अगर किसी आजिम को ममनुआ अशिया के साथ पाया गया तो उसे सऊदी कवानीन के तहत सजा दी जायेगी।

16.3 ममलकते सऊदी अरबिया में आने के वक्त अपने साथ किसी भी किस्म का सियासी लिट्रेचर, फहश तसावीर या इस तरह की कोई भी जिन्सी सामान लाने पर पाबन्दी है। सऊदी हुकूमत ने मजीद आगाह किया कि ऐसे अश्खास को जो इन हिदायात के खिलाफवर्जी करेंगे, सख्ततरीन सजा दी जायेगी।

16.4 ममलकते सऊदी अरबिया ने गिजाई अशिया, पकी हुई या कच्ची हालात में लाने पर पाबन्दी आयद कर दी है। लेहाजा आजमीने हज को तेल, घी, अचार, चटनी, मछली, मिठाईयां, तरकारियां, फल या इन जैसी दूसरी अशिया वगैरह अपने सामान के सामान के साथ या किसी दूसरे तरीके से सऊदी अरबिया पहुँचाने की इजाजत न होगी। जिद्दा/मदीना या हिन्दुस्तानी पर कस्टम हुक्काम ऐसी अशिया जब्त कर लेंगे और आजमीने हज को इसके नतीजे में तकालीफ का सामना होगा। लेहाजा आजमीने हज को इनके मुफाद के पेशेनजर मशवरा दिया जाता है कि हज के लिए रवाना होते वक्त खाने-पीने की अशिया लेकर न जायें।

16.5 ममलकते सऊदी अरबिया में कसीर तादाद में खरीद व फरोख़्त किए जाने वाले साज़ व सामान पर भी पाबंदी आयद है। कोई भी मर्द/ख़ातून आज़िम हज अगर इस बिना पर अपनी परवाज़ से मेहरूम रेह जाता है तो इस के लिये वह ख़ुद ज़िम्मेदार होगा/होगी और ऐसे आज़िम के सफर के इख़राजात भी ज़ब्त कर लिये जाएंगे।

16.6 हज कमेटी ऑफ इंडिया से हाजियों के भेस में जाने वाले गदागरों(फकीर/भिखारी) पर सख्त पाबंदी है। इन के खिलाफ मौजूदा कवानीन के तहत सख्त कार्यवाही होगी। साथ ही सफरे हज को हर हालात में मन्सूख कर दिया जाएगा और उसको हिरासत में ले लिया जाएगा और जमा की गई रकम जब्त कर ली जाएगी।

इन्तेबाह :

1. आजमीने हज कवायद व जवाबित की पूरी तर पाबन्दी करते हुए सिर्फ हज कमेटी ऑफ इंडिया के दिये गये बैगेज ही सामाने सफर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे नाम, कवर नम्बर, मोबाइल नम्बर, बिल्डिंग नम्बर, मोअल्लिम नम्बर का स्टीकर चस्पा न होने पर कोई भी बैगेज एयरलाइन कबूल नहीं करेगी और ये जिद्दा/मदीना हज टर्मिनल पर नामालूम पड़े रहेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ऐसे किसी भी नामालूम बैगेज को जिद्दा/मदीना एयरपोर्ट से हिन्दुस्तान लाने की जिम्मेदार नहीं होगी। आजमीने हज के उनके अपने मुफाद में ये है कि वे ऐसी किसी भी हरकत से गुरेज करें और एयरलाइन के जवाबित पर अमल करें। आजमीने हज से गुजारिस है कि बरायेकरम केबिन/हैन्ड बैगेज में सफर के दस्तावेजात, दवाइयां, चस्मा वगैरह जैसी जरूरी चीजें न रखें।
2. मुन्शियात और नशाआवर चीजों की सऊदी अरबिया में सख्त ममानियत है। इसकी वजह से खाती हाजी को जेल/मौत की सजा भी हो सकती है। हज कमेटी ऑफ इंडिया/कोन्सलेट जनरल ऑफ इन्डिया, जिद्दा इन मामलात में किसी भी तरह की इमदाद पहुँचाने में कासिर है।

17. वीजा, पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात सफर

वीजा, पासपोर्ट और सफर के दस्तावेजात हुज्जाजे कराम को इम्बार्केशन प्वाइन्ट पर परवाज से 48 घंटे कब्ल सौप दिये जायेंगे। ये दस्तावेजात आजिमे हज को इसके जानिब से मुन्तखिब कर्दा सख्श को ही दिये जायेंगे। हज कैम्प में तकसीम काउंटर (Distribution Counter) छोड़ने से कब्ल आजिमे हज तमाम दस्तावेजात की बखूबी जाँच करें। अगर किसी बाबत समझना हो तो रियासती हज कमेटी के जिम्मेदारान या इम्बार्केशन प्वाइन्ट पर मौजूद हज कमेटी ऑफ इंडिया के अमला से जानकारी हासिल करें। आजिमे हज e-visa की अच्छी तरह से जाँच करें। किसी भी तरह की गलती या कमी पाये जाने पर मुतालका आजिमे हज को सऊदी अरबिया से वापस रवाना भी किया जा सकता है। एयरपोर्ट

पर दिये जाने वाले सिम कार्ड (Sim Card) को अच्छी तरह रखें और पूरी जिम्मेदारी के साथ सिम कार्ड पैकेट सम्भाल कर रखें। बिना सिम कार्ड जैकेट के सिम कार्ड ऐक्टिवेट नहीं होगा।

18. परवाज़ ;थ्सपहीजद्ध

18.1 फ्लाइट शेडयूल; हवाई परवाज का शेडयूल एयरलाइन्स की सहूलत के मुताबिक तैयार किया जाता है और जिसके लिए DGCA और GACA की मन्जूरी लाजमी है।

18.2 आजमीने हज को अपने मुतय्यनकर्दा इम्बार्केशन प्वाइन्ट (हज हाउस/हज कैम्प में) परवाज़ से 48 घंटे कब्ल रिर्पोट करके सफर के दस्तावेजात हासिल करना है जैसेकि पासपोर्ट, वीजा और दीगर चीजें जो हज कमेटी ऑफ इंडिया मुहय्या करती है। यहाँ आजमीने हज को RT-PCR टेस्ट के लिए कहा जा सकता है। टेस्ट की रिर्पोट मन्फी आने पर ही आजिमे हज को परवाज की इजाजत दी जायेगी। मसबत रिर्पोट आने पर आजिमे हज को सफरे हज की इजाजत नहीं दी जायेगी। अलबत्ता कवर में मौजूद दूसरे आजमीने हज चाहें तो इन्हें परवाज की इजाजत होगी, जिसका इन्हेसार ममलकते सऊदी अरबिया के कवायद व जवाबत पर होगा।

18.3. हज कमेटी ऑफ इंडिया के फ्लाइट शेडयूल को दो मरहलों में तकसीम किया गया है, पहले मरहले में आजमीने हज मदीना मुनव्वरा के लिए परवाज करेंगे। इन आजमीने हज को हिन्दुस्तान के एयरपोर्ट पर एहराम बांधने की जरूरत नहीं है, दूसरे मरहले में आजमीने हज एयरपोर्ट पर एहराम बांध कर हवाई जहाज से जिद्दा रवाना होंगे और मक्का मुर्करमा पहुंच कर उमरा अदा करेंगे। ताहम इस जिमन में जरूरी हिदायात हज-2022 के दौरान जिद्दा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद क्वारन्टाइन से मुतालिक तफसीली रहनुमा खुतूत के हुसूल के बाद जारी की जायेगी।

i) फ्लाइट एलाटमेन्ट एयरलाइन्स के जरिये जारीकर्दा रहनुमा खुतूत और हिदायात के मुताबिक होगा। रिहाईश की दस्तयाबी की इत्तेलाअ कोन्सल जनरल ऑफ इन्डिया, जिद्दा करेगी जोकि उस हाल के सूरते हाल के मुताबिक तब्दील भी हो सकती है।

ii) मुकर्ररा परवाज की इत्तेलाअ आजमीने हज को एस.एम.एस, व्हाट्स ऐप, आवाज में रिकार्ड किया गया मैसेज और टेलीफोन काल के जरिये की जायेगी। ये मालूमात हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेब साइट **www.hajcommittee.gov.in** पर भी दस्तयाब होगी। आजमीने हज को मुतला किया जाता है कि वे अपनी मुतय्यना परवाज से ही सफर करें, किसी भी सूरत में मुकर्ररा परवाज की तारीख में तब्दीली नहीं की जायेगी। ताहम हुज्जाजे कराम तारीखे परवाज, एक से ज़ायद कवर को इकट्ठा करने, एक साथ रिहाईश वगैरह से मुतालिक दरख्वास्त हज कमेटी ऑफ इन्डिया के दफ्तर में 15 अप्रैल, 2022 तक जमा करा सकते हैं।

iii) हज कमेटी ऑफ इंडिया किसी भी सीट या परवाज को हालात के मद्देनजर मन्सूख या तब्दील कर सकती है। तारीखे रवानगी मुज़व्वजा है और हवाई जहाज में सीट कन्फर्मेशन हज कमेटी ऑफ इंडिया ऑफिस या मरकजे रवानगी के हज कैम्प ऑफिस में रिर्पोट करने के बाद सीट दस्तयाब होने की सूरत में ममलकते सऊदी अरबिया के जरिये जारी किये जाने वाले जवाबित के मुताबिक ही की जायेगी।

iv) आजमीने हज और उनके रिश्तेदारों से दरख्वास्त है कि वे हज कमेटी ऑफ इंडिया, रियासती/यूनियन टेरीट्रीज हज कमेटियों के अहलकारों से अच्छा बर्ताव करें। और अपना भरपूर ताऊन करें। आजमीने हज या उनके किसी रिस्तेदार के जरिये हज कैम्प ऑफिस पर तैनात हज कमेटी ऑफ इंडिया/रियासती हज कमेटी के अहलकारों से खराब बर्ताव करने से उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जायेगी और सफरे हज रद्द भी हो सकता है।

v) मुकर्ररा परवाज के मोअख्खर होने या मन्सूख होने की सूरत में जाब्ता के मुताबिक खाना/नाश्ता/दीगी सहूलतें हवाई कम्पनियां कानून और जवाबतों के मुताबिक फराहम करती हैं।

vi) आजमीने कराम जिनकी परवाजें कन्फर्म हो गई हों मगर वह अपनी मुकर्ररा परवाज के लिये मरकजे रवानगी के वक्त पर रिर्पोट न कर सके हों, उन्हें बाद की परवाजों में जाने की इजाजत नहीं दी जायेगी सिवाय नागुजीर वजूहात की बुनियाद पर। वह भी उस वक्त जबकि जगह दस्तयाब हो और एक तरफा जायद किराया अदा करने के बाद इजाजत दी जायेगी।

vii) चार्टड टिकट नाकाबिले ट्रान्सफर है आजमीने कराम को दो तरफा आमदोरफ्त की मुकर्ररा तारीखों की टिकट मखसूस परवाजों के लिए जारी किये जाते हैं। लेहाजा वापसी के सफर में किसी तरह की तब्दीली, ट्रान्सफर या सीट की मन्सूखी की इजाजत नहीं होगी।

viii) बुकिंग तमाम रकूम की वसूलियाबी के बाद होगी।

ix) परवाजों की मुतय्यना तारीख में तब्दीली सिर्फ आजमीने हज या साथी हाजी की मौत या शदीद अलालत या हादसे की बिना पर ही काबिले कबूल होगी। और दूसरी परवाज में जगह दस्तयाब होने पर ही सीट कन्फर्म की जायेगी।

x) जरूरत पड़ने पर परवाजों की तारीख/वक्त की तब्दीली या सफर को मुल्तवी करने के तमाम इख्तियारात हज कमेटी ऑफ इंडिया ने महफूज रखें हैं।

xi) आजमीने हज मुतालका एयरपोर्ट पर अपने वक्ते रवानगी से 6 घंटे कब्ल रिर्पोट करें।

xii) अगर हवाई जहाज की बुकिंग करने के बाद आजिम की परवाज छूट जाये तो रूपयेः 25,000/- फी हाजी कोर बैंकिंग के जरिये हज कमेटी के एकाउंट में जमा कराने पर अगली परवाजों में जगह दी जायेगी।

xiii) हज हाउस में रिहाईश सिर्फ हाजियों के लिए दस्तयाब होगी, इसके अलावा एक कवर के किसी एक करीबी रिश्तेदार को ही रिहाईश दी जायेगी, बाकी दूसरे अफराद को अपनी रिहाईश का इन्तेजाम खुद करना होगा। हुज्जाजे कराम हज कमेटी ऑफ इन्डिया की वेबसाइट **www.hajcommittee.gov.in** लॉग- इन करके या गूगल प्ले स्टोर पर ''हज कमेटी ऑफ इन्डिया'' नाम से मौजूद हज ऐप के जरिये फ्लाइट बुकिंग, यहाँ तक कि परवाज की तस्दीक भी कर सकते हैं।

xiv) मीकात से गुजरते वक्त आजमीने कराम को एनाउन्समेन्ट के जरिये मुतला कर दिया जायेगा ताकि वे नियत कर सकें।

18.4 परवाज़ के दौरान

18.4.1 बोर्डिंग कार्ड पर सीट नम्बर दर्ज होता है। आजमीने हज अपनी नम्बर वाली सीट पर ही तशरीफ फरमॉ हों और सीट बदलने के लिए कोशां न हों।

18.4.2 फ्लाइट में क्रिव (Crew) दौराने सफर हिफाजती तदाबीर के बारे में मुसाफिरों को जानकारी फराहम करते हैं। तमाम हुज्जाजे कराम इस जानकारी को अच्छी तरह सुनें समझें और इस पर अमल करें। सीट बेल्ट पहन रखें, दरम्यानी रास्ते में नमाज पढ़ने से गुरेज करें, आजमीने हज अपनी नसिस्तों पर बैठकर नमाज की अदायगी कर सकते हैं। हुज्जाजे कराम से इस्तेदा है कि वजू करते वक्त जायद पानी बहाने से बचें और एक ही जगह जमा न हों, भीड़ न लगायें।

18.4.3 आजमीने हज को हवाई सफर में मीकात की आमद की इत्तेला दी जायेगी ताकि वे नियत कर सकें।

18.5 जिद्दा/मदीना हवाई अड्डे पर

18.5.1 तमाम आजमीन जिद्दा/मदीना हवाई अड्डा पहुँचने पर अपने सफरी कागजात (पासपोर्ट, वीजा, वैक्सीनेशन कार्ड) जाँच के लिए तैयार रखें। इमीग्रेशन अफसरान बायोमैट्रिक शिनाख्त करने के बाद सऊदी अरबिया में दाखला के लिए पासपोर्ट की तौसीक करेंगे। आजमीन को मोअल्लिम के जरिये फराहम कर्दा बसों में मक्का/मदीना पहुँचाया जायेगा। मोअल्लिम के अमले के जरिये आजमीन का पासपोर्ट ले लिया जायेगा और इन्हें ब्रेसलेट दिया जायेगा। आजमीन हर वक्त इस ब्रेसलेट को पहने रहें। आजमीन को उनकी रिहाईशगाहों तक पहुँचाया जायेगा।

18.5.2 सऊदी अरबिया पहुँचने पर आजमीने कराम को सऊदी हुक्काम के फेसले के मुताबिक क्वारन्टॉइन वक्त (Quarantine Time) मुकम्मल करना होगा। इन्हें सऊदी हुक्काम और हिन्दुस्तानी हज मिशन के ओहदेदारों की तरफ से मोसूल हिदायात पर सख्ती से अमल करना होगा।

18.5.3 आजमीने कराम अपने मोबाइल सिम कार्ड को जिद्दा हवाई अड्डे पर मुतालका मोबाइल कम्पनी के स्टोर में चालू (Activate) करा सकते हैं। अगर वे हवाई अड्डे पर अपने सिम कार्ड को चालू (Activate) करने से कोसिर हैं तो अपनी रिहाइशों के करीब स्टोर में जाकर चालू (Activate) करा सकते हैं।

18.5.4 हिंदुस्तानी हज मिशन आजमीने कराम के लिए हवाई अड्डे से आमदोरफ्त का इन्तेजाम करता है। किसी भी तरह की दुश्वारी होने पर आजमीने कराम हवाई अड्डे के बिल्कुल बाहर हिन्दुस्तानी हज मिशन ऑफिस से राब्ता कर सकते हैं।

19. ममलकते सऊदी अरबिया में कयाम की मुद्दत

19.1 सऊदी हज हुक्काम (वजारते हज व उम्रा) के जरिये कोरोना वायरस की वबा के मद्देनजर रखते हुए हज प्रोटोकाल के जवावित के तहत हुज्जाजे कराम के सऊदी अरबिया में कयाम की मुद्दत को कम कर दिया गया है। मुद्दते कयाम में किसी भी तरह की कमी ज्यादती को मन्जूर नहीं किया जायेगा। ये

कयास है कि फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक सऊदी अरबिया में हुज्जाजे कराम के कयाम को कम करके 36 से 42 दिन किया जा सकता है।

19.2 मक्का मुर्करमा में कोन्सलेट जनरल ऑफ इंडिया, जिद्दा के जरिये रिहाईश की इकाईयां पूरे मौसमे हज के लिए किराये पर ली जाती है ना के रोजाना के किराये के तहत, फिर कयाम की मुददत चाहे जितनी हो। इसलिए सभी आजमीने हज से रिहाईश के लिए बराबर रकम ली जाती है। इसलिए कयाम या रिहाईश की मुददत या किसी दिगर कमियों की बिना पर कोई भी हाजी रकम की वापसी (Refund) के मुतालबे का हकदार नहीं होगा।

19.3 हुज्जाज-ए-कराम को मुत्तला किया जाता है कि सऊदी अरबिया में क़याम के दौरान हिदायात सख़्ती से अमल करें। चोरी, गबन, सामान बेचने, गैर क़ानूनी तौर पर ममनूअ इलाक़ों में अमदोरफत, मक़ामी पुलिस और सिवल डिफैंस वालंटियरों से बिला वजह हुज्जत ख़तावार हाजी को मुशकिल में डाल सकती है। ऐसे हार्जी को जेल भी हो सकती है।

20. ममलकते सऊदी अरबिया में रिहाईष

20.1 कोरोना वबाई अमराज के पेशेनजर मक्का मुर्करमा और मदीना मुनव्वरा दोनों मुकामात पर हज-2022 के लिए आजमीन की रिहाईश के उसूलों में नये कवायदो व जवाबित का निफाज अमल में लाया जा सकता है और रिहायशी किराया भी कुछ हद तक महँगा होने के कवी इमकानात हैं क्योंकि वैट पहले के मुकाबले 5% से बढकर 15% हो गया है। सामान और की खिदमात की कीमतों में इजाफा हुवा है। गुजिस्ता सालों में हर हाजी को चार स्क्वायर मीटर की जगह फराहम की जाती थी। ताहम हज 2022 के लिये कोरोना वबाई अमराज सम मुताआल्लिक समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिये फी हाजी जगाह की जरू3त में इजाफे का इमकान है। ऐसी सूरत में हाजियों को रिहाईश के लिये फराहम कुर्दा इजाफी जगह की वजह से इजाफी रकम का बोझ उठाने के लिए तैयार रहना होगा।
क्वर पाँच (5) बालिग + दो (2) अतफाल पर मुशतमिल होगा, मुमकिन है हक के एक कमरे में जगह नाकाफी होने के सूरत में एक ही कव्र के हाजी को दो (2) अलग-अलग कमरों में ठहराया जाए। कोशिश यह होगी के दोनों कमरे आपस में जुडे हुवे हों।

21. मक्का मुर्करमा में कयाम

21.1 ऐन मुमकिन है कि हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) के तमाम हिन्दुस्तानी आजमीन को एक ही जगह रिहाईशी जुमरा में (अज़ीज़िया या इसी तर्ज़ का) रिहाईश फराहम की जायेगी। आजमीने हज को चाहिए कि समाजी दूरी का ख्याल रखें, चेहरा ढ़ाँक कर रखें, साफ-सफाई के जवाबित को अपनायें और कवर के खानदान के आजमीने हज को मुजिर बीमारी के इन्फेक्सन में मुब्तला होने से बचायें। जहाँ पकवान की इजाजत नहीं है वहाँ खाना बनाने से गुरेज करें। आजमीने हज बिला जरूरत भीड़ इकट्ठा न होने दें न ही भीड़ का हिस्सा बनें और गैर जरूरी सफर करने से परहेज करें।

21.2 अगर अज़ीज़िया जुमरे में रिहाईश फराहम की जाती है तो हरम शरीफ आने-जाने के लिए बसों का इन्तेजाम किया जायेगा। तवक्को है कि इन बसों में सफर भी समाजी फासले के उसूलों के ताबे होगा। ज्यादा भीड़ और हुजूम करने की सख्ती से ममानियत है।

21.3 हर आजिमे हज को हज कमेटी ऑफ इंडिया की निगरानी में इम्बार्केशन प्वाइन्ट या रियासती हज कमेटी के जरिये (2) दो अदद् बेड शीट, (2) दो अदद् तकिये के कवर और (1) एक अदद् तिरंगा निशान

वाली (हिंदुस्तानी) छतरी फराहम की जायेगी जिसे वह मीना, अराफात, मुज़्दलफा वगैरह मकामात पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

22. मदीना मुनव्वरा में कयाम

22.1 इस बात का कवी इमकान है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा के चलते हज-2022 के दौरान मदीना मुनव्वरा में कयाम की मिआद कम की जा सकती है। जिसका मकामी सऊदी हुक्काम बराये हज के जरिये रहनुमा खुतूत में इजहार किये जाने की तवक्का है। मस्जिदे नबवी शरीफ में लाजमी तौर पर चालिस नमाज अदा करने की पुरानी रिवायत इस मरतबा मौजूदा हालात के पेशेनजर मुमकिन नहीं होगी। हुज्जाजे कराम को मकामी हुक्काम के जरिये जारी रहनुमा खुतूत पर सख्ती से अमल पैरा होना होगा और कयाम की मिआद में कमी व बेशी की दरख्वास्तों से परहेज करना होगा।

22.2 हज कमेटी ऑफ इंडिया के तमाम आजमीन हज को मरकजिया इलाका (फ्रस्ट रिंग रोड के हुदूद में) के अन्दर रिहाईश मुहय्या कराने की अजहद कोशिश की जायेगी। ताहम मुमकिन है कि चन्द एक हुज्जाजे कराम को बैरून मरकजिया इलाके में रिहाईश फराहम की जाये और किराये की बकिया रकम वापस की जाये।

22.3 मदीना मुनव्वरा में खाना पकाने की इजाजत नहीं है। जुज्जाजे कराम को जाती तौर पर होटल/रेस्टोरेन्ट में अपने खाने-पीने का इन्तेजाम करना होगा। कोराना वायरस की आलमी वबा के चलते हुज्जाजे कराम भीड़ के अवकात में या पहले से जमा भीड़ में जाने से गुरेज करें।

23. रूबात में रिहाईषी सहूलत

हर साल, रूबात में रिहाईश की सहूलियात मुतालिका रूबात अथॉरिटी चन्द मुन्तखिब शुदा हुज्जाजे कराम को मुहय्या की जाती है। जिनकी ''तशरीह'' और सनदयाफ्ता मुतालिका रूबात को हज 2022 के लिए वजारत हज व उम्रा की जानिब से सख्त पाबन्दियां लगाई जा सकती हैं और हुज्जाजे कराम से समाजी फासले को मलहूज रखने की तनबीह की जा सकती है। लेहाजा हज 2022 में रिहाईशी पैमाईश को बड़े तनाजुर में देखा जाता है। नतीजतन हज 2022 के दौरान किसी तरह की रूबात सहूलत हुज्जाजे कराम को मुहय्या नहीं की जायेगी, लेहाजा आजमीने कराम हज 2022 में दरख्वास्त फार्म भरने से पहले इस बात को अच्छी तरह जहेन नशीन कर लें।

24. असल हज का दौरानियह :

24.1 हज का असल वक्त 8 जिहहिज्जा (7 जिलहिज्जा की मगरिब की नमाज से) से शुरू होता है। मोअल्लिम की बसें मक्का से मीना (जो कि हरम शरीफ से 7 से 8 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है) ले जाती हैं। मोअल्लिमीन इस शेड्यूल पर सख्ती से अमल करते हैं क्योंकि तमात आजमीने कराम को एक मखसूस वक्त में ही मीना पहुँचाना होता है। लेहाजा आजमीने कराम से गुजारिश है कि वक्त की पाबन्दी से अमल करें और हत्तुलवसय मोअल्लिमीन के स्टाफ से ताऊन करें।

24.2 मीना में हुज्जाजे कराम को खेमों में ठहराया जायेगा जो कि मोअल्लिमीन मुहय्या करायेंगे। हुज्जाजे कराम समाजी फासला बरकरार रखें, सेहते आम्मा की उसूलों पर अमल करें और मकामी हज अथॉरिटीज से जारी शुदा सेहते आम्मा की हिदायत पर अमल करें।

25. सऊदी अरबिया में हिंदुस्तानी हुकूमत/हिंदुस्तानी हज मिषन का किरदार :

हुकूमत-ए-हिंद ने ममलकत-ए-सऊदी अरबिया में हिन्दुस्तानी हज मिशन (हिन्दुस्तानी हज दफातिर) कायम किये हैं। सफर-ए-हज के दौरान सऊदी अरब में हिन्दुस्तान के सफीर की मजमूई निगरानी में कोन्सल जनरनल ऑफ इंडिया (जेद्दा) हिन्दुस्तानी आज़मीन-ए-हज के तमाम ऊमूर और उनकी फलाह व बहबूद की देखभाल की जिम्मेदारी अन्जाम देता है।

25.1 तिब्बी सहूलियात :

हज-2019 के दौरान कोन्सलेट जनरल ऑफ इंडिया (जिद्दा) ने मक्का मुकर्रमा 16 डिस्पेन्सरियां, एक 40 बिस्तरों पर मुस्तमिल अस्पताल, अज़ीज़िया इलाके में 30 बिस्तरों पर मुस्तमिल अस्पताल और NCNTZ जुमरा (हरम शरीफ से करीब) में एक 10 बिस्तरों पर मुस्तमिल अस्पताल का कयाम किया था। आजमीने हज की सहूलत के लिए मदीना मुनव्वरा में 3 डिस्पेन्सरियां और एक 15 बिस्तरों पर मुस्तमिल मरकजी डिस्पेन्सरी का कयाम किया गया था। एयरपोर्ट पर आजमीने हज को तिब्बी सहूलियात मुहय्या कराने के लिए जिद्दा और मदीना हज टर्मिनल पर भी एक डिस्पेन्सरी कायम की गई थी। हज 2022 के दौरान भी इसी तरह के इन्तेजाम किये जाने की उम्मीद है। ताहम आजमीने हज को हज 2022 के दौरान दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात से मुतालिक आख़री फैसला ममलकते सऊदी अरबिया की जानिब से हतमी तौर पर जारी किये जाने वाले क़वायद व ज़वाबित पर मुन्हसिर होगा।

25.2 ब्रांच दफातिर :

पिछले हज के दौरान क कोन्सल जनरनल ऑफ इन्डिया (जिद्दा) ने मक्का मुकर्रमा में एक मरकजी हज दफ्तर, 16 मरकजी दफातिर मआ डिस्पेंसरियों का कयाम अमल में लाया था। जबकि मदीना मुनव्वरा में एक मेन (Main) हज दफ्तर और 3 ब्रान्च का कयाम किया था। ये ब्रान्च दफातिर कोआरडीनेशन डेस्क, मदीना मोवमेन्ट डेस्क, बिल्डिंग वलफेयर डेस्क, जनरल वेल्फेयर डेस्क ऐन्ड CRT डेस्क, गुमशुदा सामान डेस्क, खादिमुल-हुज्जाज और HGO डेस्क, रवानगी सामान सेल (Departure Baggage Cell) पर मुश्तमिल हैं। इसके अलावा सऊदी अरबिया में आजिमे हज को ज्यादा से ज्यादा आसानी और राहत फराहम करने के लिए एक कन्ट्रोल रूम, हरम टास्क फोर्स, अजीजिया में कम्प्यूटर सेल (IHPO), हेल्पलाइन डेस्क और अजीजिया ट्रान्सपोर्ट डेस्क भी कायम किया गया था। इसी तर्ज की सहूलियात हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) के दौरान भी फराहम की जायेगी। ताहम हज 1443 (हि.) बमुताबिक 2022 (सी.ई.) के दौरान तिब्बी सहूलियात फराहम करने का पूरा दारोमदार ममलकते सऊदी अरबिया की जानिब से हतमी तौर पर जारी किये जाने वाले कवायदो जवाबित पर मुन्हसिर होगा।

25.3 खादिमुल-हुज्जाज और हज खिदमतगुजार :

हज कमेटी ऑफ इंडिया ममलकते सऊदी अरबिया में सफरे हज के दौरान हिन्दुस्तानी आजमीने हज की इमदादे बाहमी की गर्ज से 200:1 की निस्बत से खादिमुल-हुज्जाज को मुन्तख करके भेजती है। हर हवाई परवाज में 1-2 खादिमुल-हुज्जाज को और हिन्दुस्तानी आजमीने हज की रिहाईशगाहों में भेजने की कोशिश की जाती है। आजमीने हज से इस्तेदा है कि वे मुतालका खादिमुल-हुज्जाज का मोबाइल

नम्बर अपने मोबाइल में महफूज कर लें, इस सहूलत का भरपूर इस्तेमाल करें। वक्त जरूरत या मुश्किल दर पेश आने पर उनसे सलाह व मशवरा करें और उनकी बताई गई बातों पर अमल करें। ताहम ये बात वाजह तौर पर बताई जाती है कि खादिमुल-हुज्जाज आजमीने हज की जाती काम-काज के लिए नहीं हैं।

कोन्सल जनरनल ऑफ इंडिया (जिद्दा) के मातहत गैर सरकारी तन्जीमें/खिदमतगुजार और आरजी अमला सऊदी अरबिया में मुख्तलिफ मकामात पर आजमीने हज को दुश्वारी पेश होने पर, रसद इमदादे बाहमी और रहनुमाई फरमाते हैं। आजमीने हज से इस्तदआ है कि इन सहूलियात से भरपूर मुस्तफीज़ हों।

26. सऊदी अरबिया में मौत होजाने पर

आज़मीन-ए-हज की सऊदी अरब में हज के दौरान कुदरती/हादसाती मौत होने पर उसकी तजहीज़ व तकफीन सऊदी अरब के क़वानीन के मुताबिक वहीं पर कर दी जाती है। मौत की सनद (Death Certificate) कोन्सलेट जनरल ऑफ इंडिया, जिद्दा बराहेरास्त मरहूम के रिश्तेदार को मौसमे हज के इख्तिताम पर भेज देगा। हाजी की मौत होने पर क़रीबी रिश्तेदार/कानूनी हक़दार की रजामंदी के बाद ही तज़्हीज़ व तकफीन की जाती है। आजमीन-ए-हज नुमायाँ तौर पर अपने क़रीबी रिश्तेदार/क़ानूनी हकदार का मोबाइल नंबर हज दरख़्वास्त फॉर्म में दर्ज करे।

27. बीमा के दावा का तरीका

हाजी के रोड एक्सिडेंट में इन्तेक़ाल होने पर इसके इन्श्योरेन्स की अदाएगी हज कमेटी ऑफ इंडिया के तवस्सुत से इन्श्योरेन्स कंपनी करेगी। साथ ही हूकूमत-ए-सऊदी अरबिया भी रोड एक्सिडेंट में मरने वाले को क़ानूनी चाराजोई के बाद हर्जाना देती है (इसमें कुछ वक़्त लग सकता है)। हज कमेटी ऑफ इंडिया हुज्जाज-ए-कराम के लिए इन्श्योरेन्स हर्जाने की अदाएगी का नज़्म करती है। खुदानख़्वास्ता नागुहानी मौत या माज़ूरी होने पर इन्श्योरेन्स की रक़म के दावे को हज कमेटी ऑफ इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी के तवस्सुत से तय करती है। इन्श्योरेन्स क़्लेम के ज़वाबित में हालात के पेशेनजर काफी तब्दीली के इमकानात हैं जिसकी इत्तेला बाद में दी जाएगी।

28. वापसी की परववाजें

28.1 ममलकत-ए-सऊदी अरबिया से हिन्दुस्तान के लिए वापसी की परवाज़े यौम-ए-अरफा के बाद एक हफ्ते के अन्दर होती हैं । आज़मीन-ए-कराम को वापसी का बोर्डिंग पास मरकज़-ए-रवानगी पर ही दे दिया जाता है इसलिए आज़मीन-ए-कराम से गुजारिस है कि वे टिकट पर दर्ज अपनी वापसी की तारीख नोट कर लें। हुज्जाज-ए-कराम बोर्डिंग पास हिफाजत से रखें। हुज्जाज-ए-कराम को इज़ाफी बोर्डिंग पास के लिए एयरलाइन्स को इज़ाफी रक़म देने पड़ सकता है।

28.2 आज़मीन-ए-कराम को हवाई सफर के जाने और लौटने के बोर्डिंग पास (सफर-ए-हज पर रवाना होने के वक़्त ही) दे दिये जाते हैं।

28.3 ऐसे हुज्जाज-ए-कराम जो सफर-ए-हज से जल्द वापस आना चाहें तो वे उसका इन्तेजाम खुद करें। ऐसी सूरत में कोई भी रकम वापस नहीं की जाऐगी।

28.4 **सिटी चेक-इन** (City Check-in) **वापसी सफर के लिए एयरलाइन्स सिटी चेक-इन की खिदमात मुहय्या कराएंगे। आज़मीन-ए-हज का सामान उनकी रिहाईशी बिल्डिंगों (मक्का मुकर्रमा/मदीना मुनव्वरा में) से वापसी की परवाज़ से 48 घंटे क़ब्ल जमा किया जाऐगा। हुज्जाज-ए-कराम को मशवरा दिया जाता है कि वे ज़रूरी चीजें जैसे दवाईयां, चश्मा, एक दो जोड़े कपड़े और कुछ रकम अपने पास रखें ताकि परवाज़ की ताखीर की सूरत में परेशानी का सामना न करना पड़े।**

28.5 **एयरलाइन्स का अमला हुज्जाज-ए-कराम की जाए रिहाईश से तय शुदा वजन के मुताबिक तौल कर बैगे वसूल करता है। हुज्जाज-ए-कराम एयरलाइन्स के अमले के साथ बहस व मुबाहेसा न करें।**

28.6 **हुज्जाज-ए-कराम चेक-इन बैगेज में माए यानी तेल और ज़मज़म का पानी, नक़द रक़म, ज़ेवरात सोना जैसी ममनूअ अशिया न रखें। उन्हें हटाने के हिए बैगेज को खोला जा सकता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ऐसे मोआमलात में किसी भी तरह की चोरी/गुमशुदगी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी।**

28.7 **सफर-ए-हज से लौटने पर हुज्जाज-ए-कराम को हिन्दुस्तानी एयरपोर्टों पर फिर से** RT-PCR **टेस्ट से गुज़रना पड सकता है। मन्फी नतीजा वाले हुज्जाज-ए-कराम को ही उनके घरों पर जाने की इजाज़त होगी। जबकि मसबत नतीजा अखज़ करने वाले हुज्जाज-ए-कराम को सात दिनों के अदारती** Quarantine **से गुजरना होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया रियासती हज कमेटियों की मुआविनत से इस ज़िमन में इन्तेजाम करेगी।**

नोट :

हज कमेटी ऑफ इंडिया सफर-ए-हज के इन्तेज़ामात वजारत-ए-शहरी हवाबाजी के तवस्सुत से बहैसियत चार्टर (Charterer) **करती है। लेहाज़ा किसी मुतालिक़ा इन्तेजामिया की लापरवाही की वजह से किसी नुकसान की ज़िम्मेदारी हज कमेटी ऑफ इंडिया पर आयद नहीं होगी जब कोई नुकसान, जख्म, हादसा या ताखीर मुतालिक़ा इन्तेज़ामिया की लापरवाही से हो, ये बात जहेन नशीन करनी चाहिए कि किसी वजह से फ्लाइट मुल्तवी या रद्द होने, परवाज़ों में नामुसाईद मौसमी हालात, हड़ताल, सियासी व समाजी इन्तिशार, जंग, आफत-ए-समावी या बला-ए-नागहानी की वजह से ताखीर व तब्दीली की सूरत मे किसी भी नुकसान या इज़ाफी अखराजात की जिम्मेदारी हज कमेटी ऑफ इंडिया पर कतअन नहीं होगी। ऐसे तमाम नुकसानात व अखराजात हुज्जाज-ए-कराम ख़ुद बर्दाश्त करेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई जहाज की सीटों के न भरने से परवाज़ों की मन्सूख़ी या रद्द करने का अख़्तियार रखती है।**

29. आबे ज़मज़म

आबे जमजम की फराहमी से मुताआल्लिक हतमी फैसला ममलिकत सऊदी अरबिया करेगी।

30. वतन वापसी पर

हज के मुकद्दस सफर से सरजमीने हिन्द पर हवाई अड्डे से बाहर आने के वक़्त हुज्जाज-ए-कराम को चाहिए कि अपने सफर से मुतालिक दस्तावेज़ात जैसे कि पासपोर्ट, वीज़ा वग़ैरह मुतालिक़ा अमला के ज़रिए जाँच के लिए तय्यार रखें। इमीग्रेशन की कार्यवाही के बाद अपना चेक-इन बैगेज बेल्ट से एकजा करके कस्टम काउन्टर से गुजरें। हुज्जाज-ए-कराम को मशवरा दिया जाता है कि तमात कानूनी एहकाम और

पाबंदियों का एहतरात करें और कोई भी कीमती सामान लगेज में न लायें। हज कमेटी ऑफ इंडिया/रियासती हज कमेटी का अमला/हज ख़िदमतगुज़ार एयरपोर्ट पर हुज्जाज-ए-कराम की इमदादा के लिए मोजूद रेहते हैं। हज-2022 के हुज्जाज-ए-कराम की वापसी से मुतालिक रहनुमा खुतूत का दारोमदार हिन्दुस्तान और ममलकत-ए-सऊदी अरबिया के माबैन कोरोना वायरस की आलमी वबा के पेशेनज़र किये जाने वाले ज़वाबित (Protocol) पर मुन्हसिर होगा।

31. सामान खो जाने पर दावा करने का तरीका

आगाजे सफर के वक़्त हिन्दुस्तान (एयरपोर्ट) और वापसी के वक़्त सऊदी अरबिया (एयरपोर्ट) पर सामान (चेक-इन बैगेज) मुतालिक़ा हवाई कम्पनियों को चेक-इन काउन्टर पर दें, ताकि लगेज टैग जारी करके आपके सामान पर लगाया जा सके। बैग टैग जरूर ब जरूर लीजिए। जहाज़ से उतरने पर अगर कोई सामान न मिले या नुक़्सानदह हो तो मुन्दर्जाज़ैल अमल करें।

i) आज़मीन-ए-कराम को मुतालिक़ा एयरलाइन्स के नज़दीकी ''गुमशुदा बैगेज काउन्टर'' पर राब्ता करना चाहिए।

ii) गुमशुदा सामान का लगेज टैग दिखाकर शिकायत दर्ज करायें।

iii) मुतालिक़ा एयरलाइन्स के पास गुमशुदा सामान की शिकायत दर्ज कराकर शिकायत की एक कापी (PIR) अपने पास महफूज रखें।

iv) अगर आपका गुमशुदा सामान हज की आख़री परवाज़ की वापसी तक न मिल पाये तो अपने मुतालिक़ा सफरी कागजात के साथ और गुमशुदा सामान की दर्ज की गई शिकायत की बिना पर मुतालिक़ा हवाई कम्पनी से बराहेरास्त अपने सामान के हर्जाने/मआवजे का दावा दायर कर सकते हैं।

v) गुमशुदा सामान के मआवजे का दावा करने की आखरी तारीख 25 सितंबर, 2022 होगी।

32. कानूनी हैसियत

सभी मुतालिक़ा हज़रात को मुत्तला किया जाता है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया बगैर किसी मुनाफे के हुज्जाज-ए-कराम के लिए काम करती है। हुज्जाज-ए-कराम से जो मुतअय्यना रक़म वसूल की जाती है वह मुतालिक़ा एजेन्सियों की जानिब से मुहय्या की जाने वाली सहूलियात के ऐवज़, बजुज़ इन्तेज़ामी अख़राजात बशमूल रियासती हज कमेटी का मुआवज़ा के इन एजेन्सियों को अदा की जोती है। इसलिए हज कमेटी ऑफ इंडिया सारिफीन तहफ्फ़ुज़ ऐक्ट-2019 की ज़द में नहीं आती है। आज़मीन-ए-हज नोट फरमा लें कि हज कमेटी से सारिफीन तहफ्फुज ऐक्ट या किसी और क़ानून के तहत फराहम की गई ख़िदमात में कमी या किसी भूल की वजह से जो कि हज कमेटी के अख़्तियारात से बाहर हों, काई हर्जाना नहीं तलब कर सकते।

33. अदालती कार्यवाही

मोहकमा डाक की कोताही, खत के देर से पहुँचने, खत डाक में गायब हो जाने, तस्दीकी कार्ड या हज के जिम्न में किसी खत के गलत जगह पहुँचने के नताइज के सिलसिले में हज कमेटी ऑफ इंडिया,

मुंबई किसी भी सूरत में जिम्मेदार नहीं होगी। कोई तनाजआ पैदा होने की सूरत में अदालती कार्यवाही का हक सिर्फ मुंबई उज़्मा की अदालतों को ही होगा। एक मरतबा फिर बारआवर कराया जाता है कि ये रहनुमाई खुतूत (बराये हज 1443 हिजरी बमुताबिक 2022) बिल्कुल आरजी हैं और सिर्फ हज दरख्वास्त फार्म हासिल करने की गरज से जारी किये जा रहे हैं।

याद रहे कि कोविड-19 आलमी वबा के पेशे नज़र हज 2022 की तमाम दरख्वास्तों की मन्जूरी का इन्हेसार ममलकत सऊदी अरबिया और हुकूमते हिन्द की जानिब से हातमी तौर पर जारी कवायद और जवाबित पर होगा।

दस्तखत

मकाम :- मुंबई
तारीख : 1 नवम्बर, 2022

चीफ ऐक्ज़ीक्यूटिव ऑफीसर
हज कमेटी ऑफ इंडिया

हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुख्तलिफ सेक्शन्स के टेलीफोन नंबर			
झोन	प्रदेशीय/युनियन टेरीट्री	टेलीफोन नंबर	ई–मेल आईडी
झोन – I	दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और युनियन टेरीट्री जम्मू व कश्मीर और युनियन टेरीट्री लैह, लद्दाख और कारगिल	२२७१७१४३ २२७१७१४०	zone01.hci@gov.in
झोन – II	बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	२२७१७१०८ २२७१७१६४	zone02.hci@gov.in
झोन – III	आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना	२२७१७११४	zone03.hci@gov.in
झोन – IV	असाम, मणिपुर, त्रिपुरा, और पश्चिम बंगाल	२२७१७११६	zone04.hci@gov.in
झोन – V	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली	२२७१७१०९	zone05.hci@gov.in
झोन – VI	केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुच्चेरी और अंदमान व निकोबार,	२२७१७११७	zone06.hci@gov.in
हज हाऊस सेक्शन्स	हज हाऊस/हॉल/रुम बुकिंग सेक्शन्स.	२२७१७११३	hajhouse.hci@gov.in

हज कमेटी ऑफ इंडिया

संपर्क सूत्र:

फोन नं. : ०२२ - २२७१७१००/१०१/१०२/१०३/२२६१२९८९/२२६२०९२० (फॅक्स)

E-mail : reception.hci@gov.in

Website : hajcommittee.gov.in

बैतुल हुज्जाज (हज हाऊस), 7–ए, एम.आर.ए मार्ग (पल्टन रोड), मुंबई, 400001.

हाजी इनफॉर्मेशन सेंटर

हुज्जाज-ए-कराम की सहूलियत के पेश-ए-नज़र हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज हाऊस में हाजी इनफॉर्मेशन सेंटर क़ायम किया है। यह कॉल सेंटर की तर्ज़ पर काम करता है जिस का नंबर 022 – 22107070 है। तमाम हुज्जाज-ए-कराम से गुज़ारिश है कि इस सहूलियत से मुसतफीज़ हों। फिल वक़्त यह कॉल सेंटर दफ्तर के औक़ात में यानी सवेरे 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम करता है।

سرزمینِ ممبئی سے پہلا معیاری، علمی، دینی، دعوتی واصلاحی ماہنامہ،

حج کمیٹی آف انڈیا کا ترجمان،

ترغیبِ حج، تشویقِ حج اور انتظام حج میں اصلاح کا علمبردار، حج کمیٹی آف انڈیا کے اصلاحات واقدامات کا دستاویز، دعوتِ دین اور امنِ انسانی کا نقیب

ماہنامہ حج میگزین

علم وادب، دعوت وعزیمت ودعوتِ حج وعمرہ اور تعلیماتِ انسانیت کی

اس آواز کو گھر گھر پہنچائیے، خود ممبر بنیے اور دوسروں کو بھی بنائیے۔

پتہ: ماہنامہ حج میگزین، حج کمیٹی آف انڈیا، حج ہاؤس، پلٹن روڈ، ممبئی۔ ۴۰۰۰۰۱

E-mail : magazine.hci@gov.in / hajmagazine@gmail.com

رابطہ نمبر: 022-22717100 / 022-22717129

شرح خریداری: **سالانہ** 200 روپئے / **تاحیات** 5000 روپئے